महानिदेशालय
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
(गृह मंत्रालय)

**केऔसुब में सहायक उप निरीक्षक (आशुलिपिक) और प्रधान आरक्षक (अनुसचिवीय) की भर्ती–2022**

ऑनलाइन आवेदन पत्रों के जमा करने की तिथियां : 26/09/2022 से 25/10/2022
अंतिम तिथि : 25.10.2022 (सायं 17:00 बजे तक)

**भारतीय पुरूष एवं महिला** नागरिकों से पे **लेवल–5, (पे मेट्रिक्स में रू. 29,200 से 92,300/–)** में तथा केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को समय समय पर देय सामान्य भत्तों सहित **सहायक उप निरीक्षक (आशुलिपिक)** तथा पे **लेवल–4, (पे मेट्रिक्स में रू. 25,500 से 81,100/–)** में तथा केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को समय समय पर देय सामान्य भत्तों सहित **प्रधान आरक्षक (अनुसचिवीय)** के अस्थाई पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। वे 01 जनवरी, 2004 को अथवा बाद में केन्द्र सरकार की सेवा में कार्यभार ग्रहण करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए लागू **''परिभाषित अंशदायी पेंशन प्रणाली''** के अनुसार पेंशन लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे। भर्ती प्रक्रिया में, शारीरिक मानक परीक्षण (पीएसटी), दस्तावेजीकरण, ओएमआर/कम्प्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी मोड) के तहत लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा **(सहायक उप निरीक्षक (आशुलिपिक) के लिए डिक्टेशन एवं ट्रांसक्रिप्शन और प्रधान आरक्षक (अनुसचिवीय) के लिए टाइपिंग परीक्षा)** और चिकित्सा परीक्षण शामिल होंगे। भर्ती की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं :–

| | |
|---|---|
| 1.1 | आवेदन पत्रों को केवल **''ऑनलाइन''** माध्यम से स्वीकार किया जाएगा। |
| 1.2 | शारीरिक मानक परीक्षा (पीएसटी)/दस्तावेजीकरण/लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा/चिकित्सा परीक्षण निर्धारित और आयोजित की जाएगी। |
| 1.3 | ओएमआर/कम्प्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) मोड के अंतर्गत लिखित परीक्षा केवल अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं में होगी। |
| 1.4 | पीएसटी और दस्तावेजीकरण और ओएमआर/कम्प्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) मोड के तहत लिखित परीक्षा के पूर्ण होने के पश्चात्, लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के आधार पर अखिल भारतीय श्रेणीवार मेरिट सूचियां तैयार की जाएंगी। |
| 1.5 | कौशल परीक्षा के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या पूर्णतया लिखित परीक्षा में मेरिट पर निर्भर करेगी जिसके लिए अनारक्षित/ईडब्ल्यूएस/भूतपूर्व सैनिकों के लिए अर्हक अंक 35 प्रतिशत होंगे और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 33 प्रतिशत होंगे। तथापि, कौशल परीक्षा अर्थात **(सहायक उप निरीक्षक (आशुलिपिक) के लिए डिक्टेशन एवं ट्रांसक्रिप्शन और प्रधान आरक्षक (अनुसचिवीय) के लिए टाइपिंग परीक्षा)** के लिए लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों को बुलाया जाना आवश्यक नहीं होगा। कौशल परीक्षा के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या प्रत्येक पद और प्रत्येक श्रेणी के लिए रिक्तियों की संख्या के अनुसार लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त सभी अभ्यर्थियों की कुल संख्या पर निर्भर करेगी। तदनुसार, प्रत्येक श्रेणी के लिए कट–ऑफ अंक निर्धारित किए जाएंगे। |
| 1.6 | केवल वे अभ्यर्थी जो अखिल भारतीय आधार पर प्रत्येक श्रेणी में उपलब्ध रिक्ति के अनुसार मेरिट सूची में स्थान प्राप्त कर लेते हैं उन्हें विस्तृत चिकित्सा परीक्षण (डीएमई) के लिए बुलाया जाएगा। |
| 1.7 | मूल प्रतियों से अपेक्षित पात्रता प्रमाण–पत्रों/दस्तावेजों का सत्यापन दस्तावेजीकरण के समय किया जाएगा। |
| 1.8 | सहायक उप निरीक्षक (आशुलिपिक) और प्रधान आरक्षक (अनुसचिवीय) की रिक्तियों को अखिल भारतीय स्तर पर भरा जाएगा। |
| 1.9 | अभ्यर्थियों द्वारा उनकी शारीरिक मानक परीक्षा (पीएसटी), दस्तावेजीकरण, कौशल परीक्षा, चिकित्सा परीक्षण में और इस अधिसूचना में निर्धारित अन्य शर्तों के अधीन अर्हता प्राप्त करने पर लिखित परीक्षा में उनके प्रदर्शन के आधार पर अंतिम परिणाम घोषित किया जाएगा। |
| 1.10 | चयनित अभ्यर्थियों के चिकित्सा परीक्षण का आयोजन गृह मंत्रालय के दिनांक 20.05.2015 के यूओ संख्या ए. VI–1/2014–भती (एसएसबी) और गृह मंत्रालय के दिनांक 31.05.2021 के कार्यालय ज्ञापन संख्या ई. 32012/एडीजी(मेडिकल)/डीएमई एण्ड आरएमई/डीए–1/2020 (पार्ट फाईल)/1/1166 तथा सरकार द्वारा समय–समय पर यथा संशोधित सीएपीएफ और असम राइफल्स में राजपत्रित और अराजपत्रित अधिकारियों की भर्ती के लिए समरूप दिशा निर्देशों के अनुसरण में किया जाएगा। |
| 1.11 | परीक्षा के सभी चरणों के लिए प्रवेश पत्र केवल ऑनलाइन माध्यम से सीआईएसएफ की वेबसाइट www.cisfrectt.in पर जारी किए जाएंगे और डाक से नहीं भेजे जाएंगे। अभ्यर्थियों को इसलिए भर्ती प्रक्रिया पर किसी भी अपडेट के लिए और परीक्षा के प्रत्येक चरण के लिए प्रवेश पत्र समय पर डाउनलोड करने के लिए नियमित रूप से वेबसाईट विजिट करने की सलाह दी जाती है। |
| 1.12 | पद अस्थायी हैं परन्तु स्थायी किए जा सकते हैं। |

**2. वेतनमान**

| | |
|---|---|
| 2.1 | सहायक उप निरीक्षक (आशुलिपिक) – पे–लेवल–5 (रू. 29,200–92,300/–) तथा केन्द्रीय कार्मिकों को समय–समय पर यथा लागू सामान्य भत्ते। |
| 2.2 | प्रधान आरक्षक (अनुसचिवीय) – पे–लेवल–4 (रू. 25,500–81,100/–) तथा केन्द्रीय कार्मिकों को समय–समय पर यथा लागू सामान्य भत्ते। |

3. राष्ट्रीयता/नागरिकता : अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना चाहिए।

4. रिक्तियां : सहायक उप निरीक्षक (आशुलिपिक) और प्रधान आरक्षक (अनुसचिवीय) के पद के लिए अखिल भारतीय स्तरवार रिक्तियां निम्नानुसार हैं:–

| पद का नाम | मौजूदा रिक्तियां | | | | | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | अनारक्षित | अ.जा. | अ.ज.जा | अ.पि.व. | ई.डब्ल्यू.एस. | |
| सहायक उप निरीक्षक (आशुलिपिक) | | | | | | |
| पुरूष सीधी भर्ती | 40 | 13 | 7 | 25 | 9 | 94 |
| महिला सीधी भर्ती | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| विभागीय (एलडीसीई) | 11 | 2 | 1 | 4 | 0 | 18 |
| कुल | 57 | 16 | 8 | 31 | 10 | 122 |
| प्रधान आरक्षक (अनुसचिवीय) | | | | | | |
| पुरूष सीधी भर्ती | 132 | 47 | 23 | 86 | 31 | 319 |
| महिला सीधी भर्ती | 17 | 5 | 2 | 9 | 3 | 36 |
| विभागीय (एलडीसीई) | 33 | 9 | 4 | 17 | 0 | 63 |
| कुल | 182 | 61 | 29 | 112 | 34 | 418 |

प्रयोग हुए संक्षिप्ताक्षर :

**ईडब्ल्यूएस – आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अ.पि.व. – अति पिछड़ा वर्ग, अ.जा. – अनुसूचित जाति, अ.ज.जा. – अनुसूचित जनजाति और एलडीसीई – सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा**

| | |
|---|---|
| 4.1 | सभी अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करते समय अपनी वरीयता अर्थात या तो सहायक उप निरीक्षक/आशुलिपिक अथवा प्रधान आरक्षक/अनुसचिवीय अथवा दोनों के लिए अवश्य दर्शानी चाहिए। |
| 4.2 | अभ्यर्थी द्वारा दिया गया विकल्प अंतिम माना जाएगा और बाद में किन्हीं भी परिस्थितियों में बदला नहीं जाएगा। इसलिए, अभ्यर्थी ऐसे विकल्प भरते समय सावधानी बरतनी चाहिए। |
| 4.3 | केऔसुब पदों का अंतिम आबंटन अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए पदों की मैरिट–सह–वरीयता के आधार पर करेगा। |
| 4.4 | एक बार जब अभ्यर्थी को मैरिट के आधार पर उपलब्ध प्रथम प्राथमिकता आबंटित कर दी जाएगी तो उसके लिए किसी अन्य विकल्प पर विचार नहीं किया जाएगा। |
| 4.5 | वरीयता में परिवर्तन के लिए बाद में किसी अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा और इस संबंध में केऔसुब द्वारा किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा। |
| 4.6 | रिक्तियां संभावित हैं और प्रशासनिक कारणों से भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में बढ़ाई अथवा घटाई जा सकती हैं। रिक्तियों की संख्या में किसी भी परिवर्तन को सीआईएसएफ की वेबसाईट www.cisfrectt.in पर सूचित किया जाएगा। |
| 4.7 | सीधे (पुरूष) अभ्यर्थियों की रिक्तियों में 10 प्रतिशत रिक्तियां भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित हैं। भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्तियों के पात्र अथवा योग्य अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण रिक्त रहने के मामले में, उनकों भूतपूर्व सैनिक (केन्द्रीय सेवा एवं पदों में पुर्ननियुक्ति) नियम, 2012 में संशोधन की अधिसूचना के अनुसरण में संबंधित श्रेणी के अन्य अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा। |
| 4.8 | 10 प्रतिशत रिक्तियां महिला अभ्यर्थियों द्वारा वरीयता में भरी जाएंगी जिनके उपलबध न होने की स्थिति में इन्हें पुरूष अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा। |
| 4.9 | एलडीसीई अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की श्रेणी में पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने के मामले में उन्हें सीधे अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा। |
| 4.10 | नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थियों को भारत में कहीं भी सेवा करनी होगी। |
| 4.11 | अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./ईडब्ल्यूएस/भूतपूर्व सैनिकों की श्रेणी के लिए मौजूदा सरकारी आदेशों के अनुसार आरक्षण उपलब्ध है। |
| 4.12 | एक अभ्यर्थी द्वारा केवल एक ही आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए। |

5. पात्रता मानदंड

(सहायक उप निरीक्षक (आशुलिपिक) एवं प्रधान आरक्षक (अनुसचिवीय) के लिए)

5.1 **शैक्षणिक अर्हता:** –अभ्यर्थियों के पास ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि को अथवा उससे पहले मान्यताप्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से इन्टरमीडिएट अथवा सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट (10 + 2 ) परीक्षा अथवा सकमक्ष प्रमाण पत्र होना चाहिए।

5.2 **आयु सीमा:** ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि **(अर्थात 25.10.2022)** को 18 से 25 वर्ष के बीच । अभ्यर्थी का जन्म **26.10.1997** से पहले और **25.10.2004** के बाद का नहीं होना चाहिए।

5.2.1 **विभिन्न श्रेणियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में अनुमत छूट निम्नानुसार है :–**

| | | |
|---|---|---|
| (i) | अनुसूचति जाति और अनूसूचित जनजाति | उपरी आयु सीमा में 5 वर्ष तक |
| (ii) | अन्य पिछड़ा वर्ग | उपरी आयु सीमा में 3 वर्ष तक |
| (iii) | केन्द्र सरकार में 3 वर्ष की निरंतर सेवा वाले विभागीय अभ्यर्थी (केऔसुब कर्मी जो एलडीसीई रिक्तियों के लिए पात्र नहीं हैं) | अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 45 वर्ष तक<br>सामान्य/ईडब्ल्यूएस/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष तक |
| (iv) | 1984 के दंगों और गुजरात में 2002 के सांप्रदायिक दंगों में मारे गए मृतकों के बच्चे और परिवार के आश्रित सदस्य।<br>बच्चों से तात्पर्य है (क) पुत्र (दत्तक पुत्र सहित) अथवा (ख) पुत्री (दत्तक पुत्री सहित) **परिवार के आश्रित सदस्यों से तात्पर्य (क)** पति अथवा पत्नी (ख) बच्चे अथवा (ग) अविवाहित पीड़ित के मामले में भाई अथवा बहन जो उस पीड़ित के दंगों में मारे जाने के समय उसपर पूर्णतया आश्रित थे, वे पात्र होंगे।<br><br>**इस श्रेणी में उपरी आयु में छूट के लिए पात्र होने के लिए, आवेदक को संबंधित जिला आयुक्त/जिला मजिस्ट्रेट जहां पीड़ित व्यक्ति मारा गया था, से इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।** | अनारक्षित एवं ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के लिए उपरी आयु सीमा में 5 वर्ष तक<br>अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए उपरी आयु सीमा में 8 वर्ष तक<br>अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए उपरी आयु सीमा में 10 वर्ष तक |
| (v) | भूतपूर्व सैनिक | गणना की तिथि अर्थात् ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि को वास्तविक आयु से प्रदान की गई सैन्य सेवा में से घटाने के पश्चात 3 वर्ष।<br><br>आयु में छूट सरकार द्वारा समय–सयम पर जारी आदेशों के अनुसार दी जाएगी और उन्हें दिनांक 25.10.2022 को उनकी वास्तविक आयु में से वास्तविक सैन्य सेवा की अवधि घटाने की अनुमति होगी और यदि परिणामी आयु उस पद, जिसके लिए वह नियुक्ति चाहता है, के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं है, तो यह माना जाएगा कि उसने आयु सीमा के संबंध में शर्त को पूरा किया है। |
| (vi) | उन केऔसुब कार्मिकों के लिए जो केवल सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (एलडीसीई) की रिक्तियों के संबंध में स्पर्धा में भाग लेना चाहते हैं:–<br><br>आरक्षक (जीडी), प्रधान आरक्षक (जीडी), प्रधान आरक्षक/अनुसचिवीय (केवल सहायक उप निरीक्षक/आशुलिपिक पद के लिए) और आरक्षक (ट्रेड्समेन) दिनांक 25.10.2022 को संबंधित ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा के साथ तथा पैरा 5 (5. 1) के तहत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित योग्यता होना। | 35 वर्ष की आयु तक |

5.3 <u>शारीरिक मानक</u> : पद के लिए शारीरिक मानक निम्नानुसार हैं:–

| क) | ऊंचाई | पुरूष | महिला |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| | अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को छोड़कर | 165 सेमी | 155 सेमी |
| | **छूटः–**<br>अनुलग्नक – ''VI'' के अनुसार प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर गढ़वाली, कुमाउनीं, **गोरखा, डोगरा, मराठा की श्रेणियों में आने वाले अभ्यर्थियों तथा सिक्किम, नागालैंड, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर राज्य से संबंध रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए छूट। उपरोक्त मानक सभी श्रेणियों अर्थात् अनारक्षित, ईडब्ल्यूएस, अ.पि.व. और अनुसूचित जाति के लिए लागू होंगे। | 162.5 सेमी. | 150 सेमी |
| | **दार्जिलिंग जिले के तीन उप–प्रभागों नामतः दार्जिलिंग, कालिमपोंग और कुर्सीयोंग सहित गोरखा क्षेत्रीय प्रशासन (जीटीए) के अभ्यर्थी और इन जिलों के निम्नलिखित ''मौउज़ा'' उप प्रभाग शामिल हैंः–<br>(1) लोहागढ़ चाय गार्डन (2) लोहागढ़ जंगल (3) रंगमोहन (4) बाराचेंगा (5) पनीघेटा (6) छोटा अदालपुर (7) पहारू (8) सुकना जंगल (9) सुकना भाग–1 (10) पंतापति जंगल (11) महानदी जंगल (12) चंपासारी जंगल (13) सलबारी छट पार्ट–2 (14) सितोंग जंगल (15) सिवोक पहाड़ी जंगल (16) सिवोक जंगल (17) छोटा चेंगा (18) नाईपेनिया। | | |
| | अनुसूचित जनजाति से संबंधित सभी अभ्यर्थियों के लिए | 162.5 सेमी | 150 सेमी |
| | ख) **सीना** | **पुरूष** | **महिला** |
| | अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को छोड़कर अन्य अभ्यर्थियों के लिए | 77–82 सेमी<br>(फुलाव कम से कम 5 सेमी) | लागू नहीं |
| | अनुसूचित जनजाति | 76–81 सेमी<br>(फुलाव कम से कम 5 सेमी) | लागू नहीं |
| | नोट : महिलाओं के लिए सीने की माप लागू नहीं। | | |
| | <u>वजन</u> : चिकित्सा मानकों के अनुसार कद तथा आयु के समानुपात (पुरूषों एवं महिलाओं के लिए)। वज़न को भौतिक मापन के समय रिकार्ड किया जाएगा परंतु वज़न के आधार पर फिटनेस का निर्णय चिकित्सीय परीक्षण के समय किया जाएगा। | | |
| 5.4 | <u>अन्य अनिवार्य योग्यताएं</u> :<br><br>सहायक उप निरीक्षक (आशुलिपिक) के लिए | <u>कम्प्यूटर पर कौशल परीक्षा मापदंड</u><br><br>डिक्टेशन :– 10 मिनट तक 80 शब्द प्रति मिनट<br><br>ट्रांसकिप्शन समय – कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में 50 मिनट अथवा हिंदी में 65 मिनट | |
| 5.5 | <u>अन्य अनिवार्य योग्यताएं</u> :<br><br>प्रधान आरक्षक (अनुसचिवीय) के लिए | <u>कम्प्यूटर पर कौशल परीक्षा मापदंड</u><br><br>कम्प्यूटर पर 35 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति से **अंग्रेजी टाइपिंग अथवा** कम्प्यूटर पर 30 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति से **हिंदी टाइपिंग।**<br><br>(कम्प्यूटर पर प्रत्येक शब्द के लिए 5 की डिप्रेशन्स की औसत के साथ, अंग्रेजी में 10500 केडीपीएच (की डिप्रेशन्स प्रति घंटा) और हिंदी में 9000 केडीपीएच (की डिप्रेशन्स प्रति घंटा) के अनुरूप अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट एवं हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट) | |
| 5.6 | <u>चिकित्सा मानक</u> : चयनित किए गए अभ्यर्थियों के शारीरिक एवं चिकित्सीय सौष्ठव की जांच का चिकित्सीय परीक्षण एक चिकित्सा बोर्ड द्वारा किया जाएगा। अभ्यर्थियों के चिकित्सा परीक्षण का आयोजन गृह मंत्रालय के दिनांक 20.05.2015 के यूओ संख्या ए. VI–1/2014–भर्ती (एसएसबी) और गृह मंत्रालय के दिनांक 31.05.2021 के कार्यालय ज्ञापन संख्या ई. 32012/एडीजी(मेडिकल)/डीएमई एण्ड आरएमई/डीए–1/2020 (पार्ट फाइल)/1/1166 तथा सरकार द्वारा समय–समय पर यथा संशोधित सीएपीएफ और असम राइफल्स में राजपत्रित और अराजपत्रित अधिकारियों की भर्ती के लिए समरूप दिशा निर्देशों के अनुसरण में किया जाएगा। | | |
| 5.7 | <u>टैटू</u> : टैटू की अनुमेयता को स्थापित करने के लिए निम्नलिखित मापदंड निर्धारित किए गए हैंः–<br><br>क) **सामग्री** : एक धर्म निरपेक्ष देश होने के नाते, हमारे देशवासियों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान किया जाना है और इस प्रकार, धार्मिक चिह्न अथवा आकृतियां अथवा नाम को दर्शाने वाले टैटू, जिनका पालन भारतीय सेना में किया जाता है, अनुमत होंगे।<br>ख) **स्थान** : शरीर के पारंपरिक स्थानों जैसे कि अग्रभुजाओं के अंदरूनी हिस्सों पर अंकित टैटू, लेकिन केवल बाईं भुजा के अग्रभाग, गैर सलामी अंग या हाथों के पृष्ठ पर होने की अनुमति है। | | |

| | |
|---|---|
| | ग) **आकार** : शरीर के विशेष भाग (कोहनी या हाथ) से 1/4 से कम होना चाहिए। |
| 5.8 | अभ्यर्थी के घुटने आपस में टकराने, समतल पैर, वेरीकोज वेन और आंखों में भेंगापन नहीं होना चाहिए। उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और कोई भी शारीरिक दोष नहीं होना चहिए जिससे कर्त्तव्यों के कुशल निष्पादन में बाधा उत्पन्न होने की संभावना हो। |
| 5.9 | **नेत्र दृष्टि :**<br>1. दृश्य तीक्ष्णता बिना सहायता (निकट दृष्टि) – बेहतर आंख – एन 6 एवं खराब आंख – एन 9<br>2. बिना सुधार के दृश्य तीक्ष्णता (दूर दृष्टि) – बेहतर आंख – 6/6 एवं खराब आंख – 6/9<br>3. अपवर्तन – चश्में के साथ भी किसी भी प्रकार के दृश्य सुधार की अनुमति नहीं है।<br>4. कलर विजन – आईएसएचआईएआरए द्वारा सीपी–III.<br>टिप्पणी : द्विनेत्री विजन आवश्यक है। |
| टिप्पणी –I | वे अभ्यर्थी जिन्होंने आवेदन पत्र के प्राप्त होने की अंतिम तिथि को आवश्यक शैक्षिक योग्यताओं को प्राप्त नहीं किया होगा वे पात्र नहीं होंगे और उन्हें आवेदन पत्र भरने की आवश्यकता नहीं है। |
| टिप्पणी –II | अभ्यर्थियों को यह नोट करना चाहिए कि केवल मैट्रिकुलेशन/सेकेंडरी स्कूल परीक्षा प्रमाण–पत्र में दर्ज की गई जन्म तिथि और नाम को ही आयु और नाम निर्धारित करने के लिए स्वीकार किया जाएगा। जन्म तिथि अथवा नाम में किसी परिवर्तन के लिए बाद में किसी अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा। |
| 5.10 | **भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों के लिए पात्रता मानदंड** |
| | भूतपूर्व सैनिक जो सेना में हवलदार, लांस नायक या सिपाही हैं अथवा वायु सेना अथवा नौसेना में समकक्ष पदों पर हैं वे सहायक उप निरीक्षक/आशुलिपिक एवं प्रधान आरक्षक/अनुसचिवीय के पद के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। सेना/वायु सेना/नौसेना में सूबेदार, नायब सूबेदार अथवा समकक्ष रैंक रखने वाले भूतपूर्व सैनिक भी इस भर्ती में भाग ले सकते हैं बशर्ते कि वे पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों और साथ ही वे लिखित रूप में अपनी इच्छा प्रस्तुत करें कि उनके चयन होने की स्थिति में वे उस पद के समकक्ष पद का दावा नहीं करेंगे जो रक्षा बलों में वे धारण कर रहे थे। |
| | **''भूतपूर्व सैनिक'' से तात्पर्य उस व्यक्ति से है;** |
| (i) | 'जिसने भारतीय संघ की नियमित थल सेना, नौ सेना तथा वायु सेना के किसी भी रैंक चाहे वर्दीधारी अथवा गैर वर्दीधारी में सेवा की हो और; |
| (क) | जिसे उक्त सेवा से पेंशन प्राप्त होने पर नियोक्ता द्वारा या स्व अनुरोध पर ऐसी सेवा से सेवानिवृत अथवा मुक्त अथवा डिस्चार्ज कर दिया गया हो; अथवा |
| (ख) | जो सैन्य सेवा पर आरोपणीय चिकित्सा आधार पर अथवा ऐसी परिस्थितियां जो उसके नियंत्रण से बाहर हों, के कारण सेवा मुक्त हुए हैं और जिन्हें चिकित्सा अथवा अन्य अशक्तता पेन्शन दी गई हो; अथवा |
| (ग) | जो स्थापना में कमी होने के परिणामस्वरूप ऐसी सेवा से कार्यमुक्त किये गए हों अथवा; |
| (ii) | जो ऐसी सेवा से नियुक्ति की एक विशिष्ट अवधि पूरी करने के बाद उनके स्वयं के अनुरोध करने के सिवाय ऐसी सेवा से कार्यमुक्त किए गए हों अथवा कदाचार या अकुशलता के कारण बर्खास्त अथवा सेवामुक्त किए गए हों और उनको उपदान दिया गया हो तथा इसके अंतर्गत क्षेत्रीय सेना के कार्मिक नामतः निरन्तर सम्मिलित सेवा वाले अथवा अनिरंतर अर्हक सेवा वाले पेंशनधारक भी शामिल हैं अथवा; |
| (iii) | सेना डाक सेवा के कार्मिक जो नियमित थल सेना का हिस्सा हैं तथा जो पेंशन सहित अपनी मूल सेवा में बिना प्रत्यावर्तन के सेना डाक सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं; अथवा सैन्य सेवा के कारण चिकित्सा आधार पर सेना डाक सेवा से कार्यमुक्त हुए हों अथवा विकृति होने पर अथवा ऐसी परिस्थितियॉ जो उसके नियंत्रण से बाहर हों के कारण तथा जिन्हें चिकित्सा अथवा अन्य अशक्तता पेंशन दी गई हो अथवा; |
| (iv) | ऐसे कार्मिक जो 14 अप्रैल 1987 से पहले 6 माह से अधिक की अवधि के लिए सेना डाक सेवा में प्रतिनियुक्ति पर रहे हों अथवा; |
| (v) | ''क्षेत्रीय सेना'' कार्मिकों सहित सशस्त्र बलों के शौर्य पुरस्कार विजेता अथवा; |
| (vi) | चिकित्सा आधार पर बाहर किए गए पूर्व रंगरूट अथवा सेवामुक्त तथा चिकित्सा अशक्तता पेंशन प्रदान की गई हो। |
| 5.10.1 | lsok eqDr O;fDr ¼ ऑनलाइन आवेदन–पत्रों के प्राप्त होने की अंतिम तिथि को थल सेना/नौ सेना/वायु सेना से सेवा मुक्त होने की तारीख से 3 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। |

| | |
|---|---|
| | |
| 5.10.2 | fpfdRlk J.kh % कार्यमुक्ति के समय 'एवाईई' अथवा 'शेप–1' होना चाहिए। |
| 5.10.3 | vk;q % उन्हें अपनी वास्तविक आयु में से सेना में सेवा की अवधि घटाने की अनुमति होगी और परिणामी आयु इन पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, ऊपरी आयु सीमा में निर्धारित प्रारूप में जाति प्रमाण पत्रों के प्रस्तुत करने पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मामले में 5 वर्ष की और अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 3 वर्ष तक की छूट दी जाएगी। आयु सीमा निर्धारित करने की महत्वपूर्ण तिथि ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि (अर्थात् 25.10.2022) है। |
| 5.10.4 | कार्यमुक्ति के समय चरित्र : अनुकरणीय/बहुत अच्छा। |
| टिप्पणी–I | वे भूतपूर्व सैनिक जो अपने पुनः रोजगार के लिए भूतपूर्व सैनिकों को दिए गए आरक्षण के लाभों को लेने के पश्चात नियमित आधार पर सरकार के तहत सिविल साइड में पहले ही रोजगार प्राप्त कर चुके हैं, वे ईएसएम श्रेणी में आरक्षण और शुल्क में छूट के पात्र नहीं हैं। तथापि, वे तदनुरूपी नियोजन के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ ले सकते हैं यदि नागरिक नियोजन में कार्यभार ग्रहण करने के तुरंत पश्चात्, उन्होंने संबंधित नियोक्ता को विभिन्न रिक्तियों, जिसके लिए उन्होंने डीओपीटी द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या 36034/1/2014–स्थापना (रेस) दिनांक 14.08.2014 में यथा उल्लिखित प्रारंभिक सिविल नियोजन में कार्यभार ग्रहण करने से पहले आवेदन पत्रों के दिनांकवार विवरण के बारे में स्वघोषणा/वचनबद्धता प्रदान की हो। |
| टिप्पणी–II | भूतपूर्व सैनिकों के पुत्रों, पुत्रियों और आश्रितों के लिए आयु में छूट/आरक्षण लागू नहीं है। इसलिए, ऐसे अभ्यर्थियों को अपनी श्रेणी भूतपूर्व सैनिक के रूप में नहीं दर्शानी चाहिए। |
| टिप्पणी–III | संघ की सशस्त्र सेनाओं में सेवारत कार्मिक, जो सेवा से सेवानिवृति के पश्चात् ''भूतपूर्व सैनिक'' की श्रेणी में आते हैं, उन्हें अनुबंध की विर्निदिष्ट शर्तों के पूरा होने के 1 वर्ष पूर्व पुर्ननियोजन के लिए आवेदन करने और भूतपूर्व सैनिकों को उपलब्ध सभी छूटों का लाभ उठा सकते हैं परंतु उन्हें वर्दी छोड़ने की अनुमति तब तक प्रदान नहीं की जा सकती जब तक संघ की सशस्त्र सेनाओं में अनुबंध की विनिर्दिष्ट शर्त को पूरा नहीं कर लेते हैं। ऐसे अभ्यर्थियों को संबंधित कमाण्डिंग ऑफिसर से **अनुलग्नक–X** के अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए। |
| टिप्पणी–IV | भतपूर्व सैनिकों को अपने माप और दस्तावेजीकरण को रिकार्ड करवाने के लिए पीएसटी ईवेंट के समय उपस्थित रहना आवश्यक होगा और उन्हें अपने शैक्षिक प्रमाण–पत्रों तथा अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत करना होगा। उन्हें लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा और चिकित्सा परीक्षण में उपस्थित रहना होगा तथा उनमें अर्हता प्राप्त करनी होगी। भूतपूर्व सैनिकों को चिकित्सा परीक्षण में अर्हता गृह मंत्रालय के यू.ओ. संख्या–ए./VI - I/2014–भर्ती (एसएसबी) दिनांक 20. 05.2015 और गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या ई.–32012/एडीजी (चिकित्सा)/डीएमई एण्ड आरएमई/डीए–1/2020 (पार्ट फाईल)/1166, दिनांक 31.05.2021 और सरकार द्वारा समय–समय पर यथा संशोधित के अनुसार प्राप्त करनी होगी। |

6. अयोग्यता :

i) क) जिसने पति या पत्नी के जीवित रहने वाले व्यक्ति के साथ विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है (अथवा)
ख) जिसने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरे व्यक्ति के साथ विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है, वह बल में नियुक्ति के लिए पात्र होगा। बशर्ते कि केन्द्र सरकार, अगर संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति और शादी के दूसरे पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के तहत इस तरह के विवाह की अनुमति है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो किसी भी व्यक्ति को इस नियम के दायरे से छूट दी जा सकती है।

ii) सरकारी नौकरी से बर्खास्त।

7. प्रमाणन की प्रकिया और प्रमाणपत्र का स्वरूप :–

| | |
|---|---|
| 7.1 | वे अभ्यर्थी जो आरक्षित रिक्तियों के अधीन आवेदन करना चाहते हैं/अथवा जो आयु में छूट चाहते हैं, उन्हें सक्षम प्राधिकारी से निर्धारित प्रपत्र में अपेक्षित प्रमाण–पत्रों को जब ऐसे प्रमाण पत्रों को दस्तावेज सत्यापन के समय दस्तावेज सत्यापन के लिए मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा, अजा/अजजा/अपिव/ईडब्ल्यूएस के उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और उनकी अभ्यर्थिता सीधे ही रद्द कर दी जाएगी। प्रमाण पत्रों के प्रारूप इस अधिसूचना के साथ संलग्न किए गए हैं। |
| 7.2 | अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के आधार पर नियुक्ति चाहने वाले अभ्यर्थी को यह अवश्य सुनिश्चत करना चाहिए कि उसके पास जाति/समुदाय प्रमाण पत्र हैं और एक निर्णायक तिथि अर्थात् ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि को वह क्रीमी लेयर में नहीं आता है। |
| 7.3 | आर्थिक पिछड़ा वर्ग के तहत आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय और परिसंपत्ति प्रमाण पत्र के प्रदान करने पर दिया जाएगा। आय और परिसंपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की महत्वपूर्ण तिथि ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति |

| | |
|---|---|
| | की अंतिम तिथि होगी। |
| 7.4 | अभ्यर्थियों को यह भी नोट करना चाहिए कि उपरोक्त के संबंध में उनकी अभ्यर्थिता नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संबंधित दस्तावेज की सत्यता का सत्यापन किए जाने तक अनंतिम रहेगी। अभ्यर्थियों को यह चेतावनी दी जाती है कि उनकी अभ्यर्थिता सीधे ही रद्द कर दी जाएगी यदि वे अपनी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की स्थिति का धोखे से दावा करते हैं अथवा अन्य लाभ लेना चाहते हैं। |
| 7.5 | पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थी (डब्ल्यूपीआर) जो कि जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख में रह रहे हैं परंतु जिन्हें केन्द्र शासित प्रदेश के नागरिक का दर्जा नहीं दिया गया है, उन्हें जम्मू एवं कश्मीर राज्य और लद्दाख केन्द्र शासित प्रदेश के नामित प्राधिकारी से अधिवासी प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की शर्त के बिना भर्ती किया जाएगा। तथापि, ऐसे अभ्यर्थियों को **अनुलग्नक–VII** के अनुसार डब्ल्यूपीआर से जन्म/पहचान प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा। |

8. आवेदन कैसे करें :–

| | |
|---|---|
| 8.1 | आवेदन पत्रों को केऔसुब की वेबसाइट अर्थात् www.cisfrectt.in पर ही ऑनलाइन तरीके से प्रस्तुत करें। विस्तृत दिशा–निर्देशों के लिए, कृपया इस सूचना के **अनुलगनक–I** और **अनुलगनक–II** को देखें। आवेदन प्रस्तुत करने का कोई अन्य तरीका अनुमत नहीं है। |
| 8.2 | भर्ती खंड के तहत आने वाले राज्य/संघ क्षेत्र के नाम के विवरण निम्नानुसार हैं :– |

| क.सं. | **राज्य/संघ क्षेत्र का नाम** | **आवेदन प्राप्त करने वाले केन्द्र के नाम पते सहित** |
|---|---|---|
| 1. | चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, पंजाब एवं राजस्थान | उप महानिरीक्षक, केऔसुब (उत्तरी क्षेत्र) मुख्यालय, केऔसुब परिसर, पोस्ट–महिपालपुर, नई दिल्ली–110037 (ई मेल आई डी : dignz@cisf.gov.in) |
| 2. | दिल्ली, उत्तर प्रदेश एवं उत्तरखंड | उप महानिरीक्षक, केऔसुब आरआरसी एनसीआर क्षेत्र मुख्यालय, केऔसुब 5वीं आरक्षित वाहिनी, पोस्ट–शिप्रा सन सिटी, जिला–गाजियाबाद, राज्य–उत्तर प्रदेश–201014 (ई मेल आई डी : digncr@cisf.gov.in) |
| 3. | दादरा व नगर हवेली एवं दमण व दीव, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र | उप महानिरीक्षक, केऔसुब (पश्चिमी क्षेत्र) मुख्यालय, केऔसुब परिसर, सेक्टर–35, खारघर, नवी मुंबई – 410 210 (ई मेल आई डी : digwz@cisf.gov.in) |
| 4. | छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश | उप महानिरीक्षक, केऔसुब (मध्य क्षेत्र) मुख्यालय, भिलाई, तीसरी आरक्षित वाहिनी परिसर, पोस्ट–उतई, जिला–दुर्ग, राज्य–छत्तीसगढ़ – 491107 (ई मेल आई डी : digcz@cisf.gov.in) |
| 5. | बिहार एवं झारखंड | वरिष्ठ कमाण्डेन्ट, केऔसुब द्वितीय आरक्षित वाहिनी, पोस्ट : धुर्वा, जिला : रांची, राज्य : झारखंड – 834004 (ई मेल आई डी : rb-2nd@cisf.gov.in) |
| 6. | आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, पुद्दुचेरी, तमिलनाडू एवं तेलंगाना। | उप महानिरीक्षक, केऔसुब (दक्षिणी क्षेत्र) मुख्यालय, 'डी' ब्लॉक, राजाजी भवन, बेसन्त नगर, चेन्नै, तमिलनाडू – 600090 (ई मेल आई डी : digsz@cisf.gov.in) |
| 7. | अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह, सिक्किम, ओडीशा एवं पश्चिम बंगाल | उप महानिरीक्षक, केऔसुब (दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र–1) मुख्यालय, परिसर संख्या 553, पूर्वी कोलकाता टाउनशिप (कस्बा), कोलकाता – 107 (ई मेल आई डी : dignez@cisf.gov.in) |
| 8. | अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एवं त्रिपुरा | उप महानिरीक्षक, केऔसुब (पूर्वोत्तर क्षेत्र) मुख्यालय, बेहरबारी, ए. जी. कॉलोनी के नजदीक, हॉकी स्टेडियम रोड, पोस्ट–बसिस्ठा, जिला– कामरूप, असम – 781029 (ई मेल आई डी : dig-nez2@cisf.gov.in) |

| | |
|---|---|
| 8.3 | vkuykbu vkosnu i= e] vH;fFk;ksa dks fu ufyf!k" n#"kos$ks dks viyks% d&uk vif'k" (|%*<br>➢ फोटोग्राफ को अपलोड करना – **जेपीईजी प्रारूप (20 केबी से 50 केबी) में हाल ही का स्कैन किया गया रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटो जिस पर फोटो खीचने की तिथि विधिवत रूप से उल्लिखित हो (अर्थात इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन माह से अधिक पुराना नहीं हो)**। फोटो की छवि आयाम लगभग 3.5 सेमी (चौड़ाई) x 4.5 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। फोटोग्राफ बिना टोपी, चश्मे के होना चाहिए और दोनों कान दिखाई देने चाहिए। **<u>फोटो पर छपी तारीख के बिना आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिए जाएंगे</u>**। धुंधली तस्वीर वाले आवेदन भी अस्वीकार कर दिए जाएंगे।<br>➢ हस्ताक्षर को अपलोड करना – जेपीईजी प्रारूप में स्कैन किए हुए हस्ताक्षर (10 से 20 केबी)। हस्ताक्षर का छवि आयाम लगभग 4.0 सेमी (चौड़ाई) x 2.0 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। अस्पष्ट हस्ताक्षर वाले आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा।<br>➢ दस्तावेजों को अपलोड करना – पुरूष/महिला अभ्यर्थी को अपनी आयु और शैक्षिक अर्हता (अर्थात मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र और सीनियर सेकेंडरी परीक्षा प्रमाण पत्र) से संबंधित दस्तावेजों (पीडीएफ प्रारूप में) की स्कैन की गई प्रतियां (1 एमबी से अधिक न हो) अपलोड करना अपेक्षित होगा। |
| 8.4 | ऑनलाइन आवेदन प्रपत्रों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तथा समय **25.10.2022 (सायं 17:00 बजे)** है। |
| 8.5 | अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि से काफी पहले ऑनलाइन आवेदन करें और वे अंतिम दिनों के दौरान वेबसाईट पर अत्यधिक लोड के कारण इंटरनेट की संभावित बिच्छेदता/लॉग–इन न होना अथवा लॉग–इन में असफलता से बचने के लिए अंतिम तिथि का इंतज़ार न करें। |
| 8.6 | ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से पहले अभ्यर्थियों को यह अवश्य जांच कर लेनी चाहिए कि उन्होंने प्रपत्र में प्रत्येक कॉलम में सही विवरण भरे हैं। एक बार भरे गए आवेदन पत्रों में सुधार नहीं किया जा सकता है। इसलिए, ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से पहले सभी विवरणों को प्रस्तुत करने में अत्यधिक सावधानी अपनानी चाहिए। ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात, किसी भी परिस्थिति में कोई परिवर्तन/परिशुद्धि/संशोधन अनुमत नहीं किया जाएगा। इस संबंध में डाक, फैक्स, ईमेल, हाथों–हाथ आदि किसी भी रूप में प्राप्त हुए अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा। |
| 8.7 | अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन में दिए गए तथा सक्रिय ईमेल आईडी एवं मोबाइल नम्बर ही भरें क्योंकि उन्हें भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना ई मेल/एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी। |
| 8.8 | एक अभ्यर्थी द्वारा केवल एक ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना अनुमत है। |
| 8.9 | ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात्, अभ्यर्थी अंतिम रूप से प्रस्तुत किए गए ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लें और तदनुसार भर्ती बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के लिए उसे अपने पास रखें। अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन प्रपत्रों के प्रिंट आउट अथवा अन्य किसी दस्तावेज को संबंधित आरआरसी को भेजना आवश्यक नहीं है। |

9. <u>आवेदन शुल्क</u> :

| | |
|---|---|
| 9.1 | देय शुल्क : रूपए 100/– (रूपए एक सौ केवल) |
| 9.2 | अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), महिलाओं और भूतपूर्व सैनिक (ईएसएम) से संबंधित अभ्यर्थियों को शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त है। |
| 9.3 | शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से नेट बैंकिंग, डेबिट अथवा केडिट कार्ड अथवा रूपे कार्ड और यूपीआई अथवा एसबीआई की शाखाओं में एसबीआई चालान जेनरेट करते हुए नकद के माध्यम से अदा किया जा सकता है। |
| 9.4 | अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन शुल्क का भुगतान **25.10.2022 (17:00 बजे)** तक किया जा सकता है। तथापि, ऐसे अभ्यर्थी जो एसबीआई के चालान के माध्यम से नकद भुगतान करना चाहते हैं, वे इसका भुगतान एसबीआई की शाखाओं में कार्य घंटों के दौरान बैंक में **27.10.2022** तक नकद रूप में कर सकते है, बशर्ते उनके द्वारा चालान **25.10.2022 (17:00 बजे)** से पहले जेनरेट कर दिया गया हो। |
| 9.5 | एक बार भुगतान किए गए शुल्क को किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और न ही उसे किसी अन्य परीक्षा अथवा चयन के लिए समायोजित किया जाएगा। |
| 9.6 | बैंक के लिए यथालागू शुल्क के अलावा प्रशुल्क/कर प्रभार को उम्मीदवार द्वारा वहन किया जाएगा। |

10. <u>परीक्षा में प्रवेश</u> :

| | |
|---|---|
| 10.1 | वे सभी अभ्यर्थी जो इस विज्ञापन के प्रत्युत्तर में अंतिम तिथि और समय तक पंजीकरण करते हैं और जिनके आवेदन प्रपत्र अनंतिम रूप से स्वीकार कर लिए जाते हैं और वे इस अधिसूचना के नियमों और शर्तों के अनुसार सही पाए जाते हैं, उन्हें अनुक्रमांक प्रदान किए जाएंगे और उन्हें पीएसटी एवं दस्तावेजीकरण में बुलाने के लिए प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। तदनुसार, अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों को परीक्षा के अगले चरणों के लिए प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। |
| 10.2 | पीएसटी और दस्तावेजीकरण के चरण में, अभ्यर्थियों की पात्रता/दस्तावेजों की विस्तृत जांच की जाएगी। इसलिए, अभ्यर्थिता को केवल अनंतिम रूप से स्वीकार किया जाएगा। अभ्यर्थियों को शैक्षिक अर्हताओं, आयु, शारीरिक और चिकित्सीय मानकों आदि की अपेक्षाओं के बारे में पता होना चाहिए और उन्हें यह स्वयं सुनिश्चित करना चाहिए कि वे पद के लिए पात्र हैं। यदि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में किए गए किसी दावे की पुष्टि भर्ती की समग्र प्रक्रिया के दौरान नहीं होती है तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। |
| 10.3 | अभ्यर्थियों को कोई भी पत्र भेजते समय अपना नाम, जन्म तिथि और परीक्षा के नाम के साथ अपनी पंजीकरण संख्या, पंजीकृत ईमेल आईडी और मोबाईल संख्या अवश्य लिखना चाहिए। इन विवरणों के बिना अभ्यर्थियों के पत्र व्यवहार पर विचार नहीं किया जाएगा। |
| 10.4 | पीएसटी एवं दस्तावेजीकरण, लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा और चिकित्सा परीक्षण के लिए प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की सुविधा को सीआईएसएफ की वेबसाईट www.cisfrectt.in पर परीक्षा से दस दिन पहले उपलब्ध करा दी जाएगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा हॉल/केंद्र पर प्रवेश पत्र का प्रिंट आउट अवश्य लेकर आना होगा। |
| 10.5 | वेबसाईट से प्रवेश पत्र डाउनलोड न होने पाने के मामले में, अभ्यर्थियों को पीएसटी एवं दस्तावेजीकरण, लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा अथवा डीएमई/आरएमई से कम से कम एक सप्ताह पहले सीआईएसफ से संपर्क करना चाहिए। |
| 10.6 | प्रवेश पत्र के अलावा, दो पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटो जिस पर **फोटो लेने की तिथि विधिवत रूप से उल्लिखित (अर्थात इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन महीने से अधिक पुरानी नहीं**) हो और एक मूल वैध फोटो आईडी प्रमाण जिस पर जन्म तिथि भली–भांति प्रिन्ट की हुई हो जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, विश्वविद्यालय/कॉलेज/स्कूल द्वारा जारी पहचान पत्र, नियोक्ता आईडी कार्ड, (सरकारी/पीएसयू) रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी भूतपूर्व सैनिक (ईएसएम) डिस्चार्ज बुक या केंद्र/राज्य सरकार द्वारा जारी कोई भी फोटो वाला अन्य पहचान पत्र लाना अनिवार्य है। |
| 10.7 | यदि फोटो पहचान पत्र में जन्म तिथि लिखी हुई नहीं है, तो अभ्यर्थी को अपनी पहचान के लिए अपनी जन्म तिथि के प्रमाण में एक अतिरिक्त मूल प्रमाण पत्र (उदाहरणतया मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, केवल सीबीएसई/आईसीएसई/राज्य बोर्डो द्वारा जारी अंक तालिकाएं, जन्म प्रमाण पत्र) लाना होगा। प्रवेश पत्र में उल्लिखित जन्म तिथि और जन्म तिथि के समर्थन में लाए गए फोटो आईडी/प्रमाण पत्र में मेल नहीं होने की स्थिति में, अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। |
| 10.8 | प्रवेश पत्र में उल्लिखित अन्य कोई दस्तावेज भी अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठते समय लाना होगा। |
| 10.9 | धुंधले फोटोग्राफ और/अथवा धुंधले हस्ताक्षर वाले आवेदन प्रपत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा। |

11. <u>भर्ती प्रक्रिया</u> :

| | |
|---|---|
| 11.1 | **<u>शारीरिक मानक परीक्षण (पीएसटी) एवं दस्तावेजीकरण</u>** : सभी अभ्यर्थी जो इस विज्ञापन के प्रत्युत्तर में अंतिम तिथि और समय तक खुद को पंजीकृत करते हैं और जिनके आवेदन अनंतिम रूप से स्वीकार किए जाते हैं और क्रम में पाए जाते हैं, उन्हें पीएसटी एवं दस्तावेजीकरण में उपस्थित होने के लिए बुलाया जाएगा। शारीरिक मानक परीक्षा (पीएसटी) एवं दस्तावेजीकरण को विभिन्न केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा। अभ्यर्थियों की पात्रता/दस्तावेजों की विस्तृत जांच उस समय की जाएगी। इसलिए, पीएसटी एवं दस्तावेजीकरण के लिए उपस्थित होने से पहले अभ्यर्थियों की यह ज़िम्मेदारी होगी कि वे इस सूचना में निर्धारित अपनी पात्रता को सत्यापित करें। जो अभ्यर्थी हाइट बार टेस्ट में योग्य पाए जाते हैं, उन्हें पीएसटी से पहले बायोमेट्रिक पंजीकरण (बाएं अंगूठे का निशान (एलटीआई)/दाहिने अंगूठे का निशान (आरटीआई)/उंगलियों के निशान) से गुजरना होगा। अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित अभ्यर्थियों के अलावा, अन्य अभ्यर्थियों के लिए ऊपर उल्लिखित कद और सीना (जैसा भी मामला हो) में छूट केवल सक्षम प्राधिकारियों से **अनुलग्नक–VI** में निर्धारित प्रोफार्मा में पीएसटी एवं दस्तावेजीकरण के समय मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही स्वीकार्य होगी। अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी वैध मूल अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर छूट का लाभ उठा सकते हैं। |
| 11.1.1 | **हाईट बार टेस्ट (एचबीटी)** : हाईट बार टेस्ट में योग्य अभ्यर्थियों को पीएसटी से गुजराना होगा। |

| | |
|---|---|
| 11.2 | **शारीरिक मानक परीक्षा (पीएसटी)** – वे अभ्यर्थी जो हाईटबार परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर लेते हैं उनकी अधिकारियों के बोर्ड द्वारा कद, सीना और वजन के लिए स्क्रीनिंग की जाएगी। पद के लिए शारीरिक मानक उपर पैरा 5.3 में उल्लिखित हैं। |
| 11.2.1 | जिन अभ्यर्थियों को शारीरिक मानक परीक्षा में अयोग्य घोषित किया जाता है, वे उसी दिन, यदि वे चाहें तो, पीठासीन अधिकारी (पीओ) के माध्यम से केंद्र के लिए नामित अपीलीय प्राधिकारी को अपील कर सकते हैं। अपीलीय प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा और इसके बाद इस संबंध में किसी भी अपील या अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। |
| 11.2.2 | शारीरिक मानक की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को दस्तावेजीकरण में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। निर्धारित शारीरिक मानकों को पूरा नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को उनकी अस्वीकृति पर्ची देकर भर्ती प्रक्रिया से हटा दिया जाएगा। हालांकि, वजन के आधार पर हटाने की प्रक्रिया चिकित्सा परीक्षण के समय की जाएगी। |
| 11.2.3 | शारीरिक मानक की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को दस्तावेजीकरण में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। |
| 11.3 | **दस्तावेजीकरण** : पीएसटी में अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के निम्नलिखित मूल प्रमाण–पत्र/दस्तावेजों की जांच की जाएगी। जो अभ्यर्थी अपेक्षित मूल प्रमाण पत्र/दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहते है उन्हें पीठासीन अधिकारी द्वारा कारण बताते हुए अस्वीकृति पर्ची देकर भर्ती प्रकिया से बाहर कर दिया जाएगा और किसी भी अभ्यर्थी को अनंतिम रूप से अनुमति नहीं दी जाएगी। |
| | (i) आयु, नाम और शैक्षिक योग्यता साबित करने के लिए मैट्रिकुलेशन और सीनियर सेकेंडरी परीक्षा प्रमाण पत्र। |
| | (ii) भूतपूर्व सैनिक के अभ्यर्थियों से **अनुलग्नक–IX एवं XI** में निर्धारित प्रारूप में कार्यमुक्ति प्रमाण पत्र और वचनबद्धता। |
| | (iii) आरक्षण/आयु में छूट चाहने वाले अभ्यर्थियों से नोटिस के **अनुलग्नक–III, अनुलग्नक–IV और अनुलग्नक–V** में निर्धारित प्रारूप में जाति प्रमाण पत्र (यथा लागू)। |
| | (iv) कद/सीना माप में छूट चाहने वाले अभ्यर्थियों से सूचना के **अनुलग्नक–VI** में यथा निर्धारित प्रमाण पत्र। |
| | (v) इस अधिसूचना के पैरा–5.2.1 के तहत श्रेणी (v) में यथा उल्लिखित दंगा पीड़ितों के आश्रित आवेदकों के संबंध में जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट से प्रमाण पत्र। |
| | (vi) सूचना के **अनुलग्नक–VII** में निर्धारित प्रारूप में पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी द्वारा जन्म/पहचान प्रमाण पत्र। |
| | (vii) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के अभ्यर्थियों (सीधे एवं एलडीसीई दोनों) सहित विभागीय अभ्यर्थी अनुलग्नक–**VIII** के अधार पर अपने नियोक्ता से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। |
| | भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को अपने मापन, दस्तावेजीकरण रिकार्ड करने के लिए पीएसटी इवेंट के समय उपस्थित रहना होगा और अपने शैक्षिक प्रमाण–पत्रों और अन्य पमाण–पत्रों को प्रस्तुत करना होगा। उन्हें लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा तथा चिकित्सा परीक्षण में बैठना होगा तथा अर्हता प्राप्त करनी होगी। |
| 11.4 | **ओएमआर/कम्प्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) मोड के तहत लिखित परीक्षा :–** |
| 11.4.1 | पीएसटी एवं दस्तावेजीकरण में अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को ओएमआर/कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) मोड के तहत लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। लिखित परीक्षा में एक वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न–पत्र होगा जिसमें 2 घंटे की अवधि में 100 अंकों के 100 प्रश्न होंगे, जिसकी संरचना निम्नलिखित होगीः– |

| भाग | विषय | प्रश्नों की संख्या | अधिकतम अंक | अवधि/समय सीमा |
|---|---|---|---|---|
| भाग–ए | सामान्य बुद्धि | 25 | 25 | 120 मिनट |
| भाग–बी | सामान्य ज्ञान | 25 | 25 | |
| भाग–सी | प्रारंभिक गणित | 25 | 25 | |
| भाग–डी | सामान्य अंग्रेजी अथवा हिंदी | 25 | 25 | |

| | |
|---|---|
| 11.4.2 | सभी अभ्यर्थियों की पहचान लिखित परीक्षा से पहले पीएसटी एवं दस्तावेजीकरण के समय पंजीकृत बायोमेट्रिक परिचय से सत्यापित की जाएगी। |

| | |
|---|---|
| 11.4.3 | सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। लिखित परीक्षा केवल ओएमआर/कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) मोड के तहत अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं में आयोजित की जाएगी। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। |
| 11.4.4 | परीक्षा की तारीखों की सूचना अभ्यर्थियों को केवल सीआईएसएफ की वेबसाइट www.cisfrectt.in के माध्यम से दी जाएगी। |
| 11.4.5 | अंकों के पुनर्मूल्यांकन/पुनः जाँच का कोई प्रावधान नहीं होगा। इस संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा। |
| 11.4.6 | लिखित परीक्षा की संभावित उत्तर कुंजी परीक्षा के बाद सीआईएसएफ की वेबसाइट www.cisfrectt.in पर प्रदर्शित की जाएगी। |
| 11.4.7 | लिखित परीक्षा में प्रश्न 12वीं कक्षा स्तर के होंगे। |
| 11.4.8 | अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में कैलकुलेटर और अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी। इसलिए उन्हें परीक्षा हॉल के अंदर इनको नहीं लाना चाहिए। इन वस्तुओं को अपने पास रखना चाहे प्रयोग में हो या नहीं, परीक्षा में ''अनुचित साधनों का प्रयोग'' माना जाएगा और ऐसे अभ्यर्थियों के विरूद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी। |
| 11.5 | **कौशल परीक्षा**: लिखित परीक्षा के बाद, मेरिट (श्रेणीवार) में रखे गए अभ्यर्थियों को क्रमशः सहायक उप निरीक्षक (आशुलिपिक) और प्रधान आरक्षक (अनुसचिवीय) के लिए पैरा 5.4 और 5.5 में उल्लिखित कौशल परीक्षा से गुजरना होगा। **यह परीक्षा केवल अर्हक प्रकृति की होगी।** |
| 11.6 | **चिकित्सा परीक्षण**: पीएसटी, दस्तावेजीकरण, लिखित परीक्षा एवं कौशल परीक्षा के पूरा होने के बाद, अखिल भारतीय एवं श्रेणीवार योग्यता सूची लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों के प्रदर्शन और प्रत्येक श्रेणी में रिक्तियों की संख्या के आधार पर तैयार की जाएगी। प्रत्येक श्रेणी में उपलब्ध रिक्ति के अनुसार चयन सूची में स्थान पाने वाले अभ्यर्थियों को ही विस्तृत चिकित्सा परीक्षण (डीएमई) के लिए बुलाया जाएगा। अभ्यर्थियों के चिकित्सा परीक्षण का आयोजन गृह मंत्रालय के दिनांक 20.05.2015 केयूओ संख्या ए. VI–1/2014–भर्ती (एसएसबी) और गृह मंत्रालय के दिनांक 31.05.2021 के कार्यालय ज्ञापन संख्या ई. 32012/एडीजी (मेडिकल)/डीएमई एण्ड आरएमई/डीए–1/2020(पार्ट फाईल)/1/1166 तथा सरकार द्वारा समय–समय पर यथा संशोधित सीएपीएफ और असम राइफल्स में राजपत्रित और अराजपत्रित अधिकारियों की भर्ती के लिए समरूप दिशा निर्देशों के अनुसरण में किया जाएगा। |
| 11.6.1 | अभ्यर्थी फिट या अनफिट घोषित किए जाएंगे। कोई भी अभ्यर्थी अस्थायी रूप से अनफिट घोषित नहीं किया जाएगा। |
| 11.6.2 | प्रत्येक सेक्टर/ट्रेड में आबंटित रिक्तियों की संख्या के बराबर अभ्यर्थियों को विस्तृत चिकित्सा परीक्षण (डीएमई) के लिए बुलाया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों के शारीरिक और चिकित्सीय फिटनेस का आकलन करने के लिए चिकित्सा बोर्ड द्वारा उनकी चिकित्सकीय जांच की जाएगी। चिकित्सा परीक्षण का आयोजन गृह मंत्रालय के दिनांक 20.05.2015 के यूओ संख्या ए. VI–1/2014–भर्ती (एसएसबी) और गृह मंत्रालय के दिनांक 31.05.2021 के कार्यालय ज्ञापन संख्या ई. 32012/एडीजी(मेडिकल)/डीएमई एण्ड आरएमई/डीए–1/2020 (पार्ट फाईल)/1/1166 तथा सरकार द्वारा समय–समय पर यथा संशोधित सीएपीएफ और असम राइफल्स में राजपत्रित और अराजपत्रित अधिकारियों की भर्ती के लिए समरूप दिशा निर्देशों के अनुसरण में किया जाएगा। |
| टिप्पणी | कार्यभार ग्रहण करते समय सभी चयनित अभ्यर्थियों से एक वचनबद्धता ली जाएगी कि सेवा काल के दौरान किसी भी चरण में यदि उनमें वर्णांधता पाई जाती है तो उन्हें प्रचलित एसएचएपीई (शेप) नीति के आधार पर बाहर कर दिया जाएगा और इसे उनकी सेवा पुस्तिकाओं में रिकार्ड किया जाएगा। |

12 **चयन का तरीका** :

| | |
|---|---|
| 12.1 | लिखित परीक्षा और कौशल परीक्षा पूरी होने के बाद, सामान्य श्रेणी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और भूतपूर्व सैनिकों (पुरूष और महिला) के लिए श्रेणीवार योग्यता सूची अभ्यर्थी द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर और प्रत्येक श्रेणी में रिक्त संख्या के आधार पर अलग से तैयार की जाएगी। |
| 12.2 | अगले चरण के लिए लिखित परीक्षा/सीबीटी में योग्यता के लिए अंकों का न्यूनतम प्रतिशत निम्नानुसार होगाः<br>अना./ईडब्ल्यूएस/भू.पू.सैनिक : 35 %<br>अजा./अजजा./अपवि. : 33 % |

| | |
|---|---|
| टिप्पणी | अर्हक अंक का अर्थ है कि अर्हक अंक से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को अगले चरण के लिए नहीं बुलाया जाएगा, भले ही रिक्तियां अधूरी रह जाएं। अभ्यर्थियों को अगले चरण के लिए लिखित परीक्षा में मेरिट में उनकी पोजीशन और आबंटित रिक्ति के अनुसार प्रत्येक श्रेणी के कट ऑफ अंक के आधार पर बुलाया जाएगा। |
| 12.3 | **टाई मामलों का समाधान** : लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों के अंकों में बराबरी की स्थिति में, ऐसे मामलों का समाधान दिए गए क्रम में एक के बाद एक, जब तक टाई का समाधान नहीं हो जाता, तब तक निम्नलिखित मानदंडों को लागू करके हल किया जाएगाः |
| | **सहायक उप निरीक्षक (आशुलिपिक)** |
| (i) | बड़ी उम्र वाले अभ्यर्थी को वरीयता मिलेगी; |
| (ii) | यदि मामला अभी भी अनसुलझा रहता है, तो इसे अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता द्वारा हल किया जाएगा अर्थात ज्यादा शैक्षिक योग्यता वाले अभ्यर्थी को वरीयता मिलेगी; |
| (iii) | आगे यदि कोई टाई हो तो, अभ्यर्थी के कद की तुलना करके हल किया जाएगा अर्थात् कद में लम्बे अभ्यर्थी को वरीयता मिलेगी; और |
| (iv) | यदि टाई अभी भी बनी रहती है, तो इसे नामों के वर्णानुक्रमिक क्रम का हवाला देकर हल किया जाएगा अर्थात जिस अभ्यर्थी का नाम वर्णमाला (अंग्रेजी) के अनुसार वर्णानुक्रम में पहले आता है, उसे वरीयता मिलेगी। |
| | **प्रधान आरक्षक (अनुसचिवीय)** |
| (i) | बड़ी उम्र वाले अभ्यर्थी को वरीयता मिलेगी ; |
| (ii) | आगे यदि कोई टाई हो तो, अभ्यर्थी के कद की तुलना करके हल किया जाएगा अर्थात् कद में लम्बे अभ्यर्थी को वरीयता मिलेगी; और |
| (iii) | यदि मामला अभी भी अनसुलझा रहता है, तो इसे अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता द्वारा हल किया जाएगा अर्थात ज्यादा शैक्षिक योग्यता वाले अभ्यर्थी को वरीयता मिलेगी ; |
| (iv) | यदि टाई अभी भी बनी रहती है, तो इसे नामों के वर्णानुक्रमिक क्रम का हवाला देकर हल किया जाएगा अर्थात जिस अभ्यर्थी का नाम वर्णमाला (अंग्रेजी) के अनुसार वर्णानुक्रम में पहले आता है, उसे वरीयता मिलेगी। |
| 12.3.1 | अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी जो अन्य समुदायों के अभ्यर्थियों के साथ बिना किसी छूट के अपनी योग्यता के आधार पर चुने गए हैं, उन्हें समग्र मेरिट सूची में उनकी स्थिति के अनुसार रिक्तियों की आरक्षित संख्या के लिए समायोजित नहीं किया जाएगा। आरक्षित रिक्तियों को पात्र अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों में से अलग से भरा जाएगा जिसमें इस प्रकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी होंगे जो अनारक्षित श्रेणी की मेरिट सूची के अंतिम सामान्य अभ्यर्थी से मेरिट में नीचे होंगे परंतु छूट प्रदान किए गए मानकों द्वारा नियुक्ति के लिए अन्यथा उपयुक्त पाए जाते हैं। |
| 12.3.2 | अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी जो छूट मानकों जैसे आयु सीमा, कद और सीना माप, लिखित परीक्षा के अंक में सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए प्रदान की गई संख्या से अधिक अंक आदि के आधार पर अर्हता प्राप्त करते हैं, उनकी मेरिट पोजीशन के बावजूद ऐसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध गिना जाना है। जहां तक भूतपूर्व सैनिकों के मामलों का संबंध है, पूर्व सैनिकों की आयु में से प्रदान की गई सैन्य सेवा की कटौती आरक्षित या अनारक्षित पदों के लिए अनुमत है और इस तरह की छूट को उम्र के संबंध में छूट मानकों के रूप में नहीं माना जाएगा। |
| 13 | **निर्णयः** पात्रता, आवेदनों की स्वीकृति या अस्वीकृति, चयन के तरीकों, परीक्षा (परीक्षाओं) के आयोजन, मेरिट सूची तैयार करने से संबंधित सभी मामलों में बोर्ड/विभाग का निर्णय अभ्यर्थियों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा और इस संबंध में किसी पूछताछ/पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा। |
| 14 | **न्यायालय निर्णय** : इस भर्ती के संबंध में कोई भी विवाद की स्थिति न्यायालयों/प्राधिकरणों के अधीन होगी जिस शहर/कस्बा में संबंधित सीआईएसएफ भर्ती केन्द्र स्थापित है और जहां पर पुरूष/महिला अभ्यर्थी ने आवेदन किया है। |

| 15 | <u>अभ्यर्थियों को महत्वपूर्ण निर्देश</u> : |
|---|---|
| 15.1 | आवेदन करने से पहले, अभ्यर्थियों को परीक्षा की सूचना में दिए गए निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़ना चाहिए। |
| 15.2 | सभी पद वर्दीधारी एवं अस्थायी प्रकृति के हैं परंतु स्थायी किए जा सकते हैं। |
| 15.3 | ऑनलाइन आवेदन पत्र (**अनुलग्नक–II**) भरते समय, **उम्मीदवार यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि हाल ही में स्कैन किए गए रंगीन पासपोर्ट आकार के फोटो पर उस तिथि का विधिवत उल्लेख किया गया हो जिस तिथि को फोटो ली गई है, (अर्थात् इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से तीन माह से अधिक पुरानी न हो)** अपलोड की जानी चाहिए और अपने आवेदन में सही पहचान पत्र संख्या (अर्थात् आधार संख्या, ड्राईविंग लाईसेंस, मतदाता पहचान पत्र, विश्वविद्यालय/कॉलेज द्वारा जारी पहचान पत्र, आयकर पैन कार्ड संख्या) सही से भरना चाहिए। प्रत्येक स्पर्धा में परीक्षा केन्द्र पर वही पहचान पत्र दिया जाए। भर्ती के प्रथम चरण के दौरान, अभ्यर्थियों के बायोमैट्रिक डाटा (बाएं हाथ के अंगूठे के निशान) को तैयार किया जाएगा। |
| 15.4 | मूल दस्तावेजों के साथ दस्तावेजों का सत्यापन पीएसटी एवं दस्तावेजीकरण के समय किया जाएगा। इसलिए, अभ्यर्थिता केवल अनंतिम रूप से स्वीकार की जाएगी। आवेदन करने से पहले, अभ्यर्थी अपनी शैक्षिक योग्यता, आयु, शारीरिक मानकों आदि की आवश्यकताओं की जांच कर लें और खुद को संतुष्ट कर लें कि वे पद के लिए पात्र हैं। जब पीएसटी एवं दस्तावेजीकरण के समय दस्तावेज की जांच की जाती है, और यदि आवेदन में किए गए किसी भी दावे को प्रमाणित नहीं पाया जाता है, तो अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। |
| 15.5 | अभ्यर्थियों को उपयुक्त जांच/परीक्षण के लिए अपने सभी मूल शैक्षिक/जाति/मूल निवास प्रमाण पत्र और अन्य प्रमाण पत्रों को पीएसटी और दस्तावेजीकरण के समय लाना होगा। यदि कोई अभ्यर्थी अपनी पात्रता के समर्थन में कोई आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो उसकी अभ्यर्थिता सीधे रद्द कर दी जाएगी और किसी अन्य दिन दस्तावेजीकरण करवाने के लिए उनकी अस्वीकृति के विरूद्ध कोई भी अपील स्वीकार नहीं की जाएगी और उन्हें भर्ती की आगे की कार्यवाही में भाग लेने नहीं दिया जाएगा। |
| 15.6 | इस परीक्षा के नोटिस के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ईडब्ल्यूएस/ईएसएम या अन्य छूट जैसे आरक्षण का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थियों को यह अवश्य सुनिश्चित करना होगा कि वे इस तरह के आरक्षण/छूट के हकदार हैं। जब प्रमाणपत्रों की प्रतियां मांगी जाएंगी, तो उनके पास अपने दावे के समर्थन में निर्धारित प्रारूप में संबंधित मूल प्रमाण पत्र होने चाहिए। |
| 15.7 | आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के संबंध में, निम्नलिखित विवरणों वाले जाति प्रमाण–पत्रों को निर्धारित प्रमाण पत्र के अनुसार स्वीकार किया जा सकता है और अभ्यर्थियों को उनकी संबंधित आरक्षित श्रेणी की रिक्ति के अधीन भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अनमुत किया जा सकता है :–<br>क) अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, स्थान/ग्राम/कस्बा जहां से वह संबंध रखता है;<br>ख) उचित/निर्धारित प्राधिकारी से जारी प्रमाण–पत्र;<br>ग) जाति प्रमाण पत्र में भारत सरकार के संकल्प के अनुसार प्राधिकारी का स्पष्ट उल्लेख हो जो यह प्रमाणित करता हो कि आरक्षित श्रेणी के अधीन व्यक्ति का दावा सही है;<br>व्यक्ति के जाति प्रमाण पत्र में यथा उल्लिखित जाति उस श्रेणी के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित केन्द्रीय सूची में शामिल हो। |
| 15.8 | दिव्यांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) इस परीक्षा के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं हैं। |
| 15.9 | किसी भी परिस्थिति, में एक बार जमा किए गए आवेदन पत्र में परिवर्तन/सुधार के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। डाक/फैक्स/ईमेल/हाथ आदि के माध्यम से प्राप्त ऐसे अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा। |
| 15.10 | यदि उपयुक्त भूतपूर्व सैनिक उमीदवार उपलब्ध नहीं हैं, तो भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों को गैर भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा। |
| 15.11 | सीआईएसएफ सहित सरकारी/अर्द्ध सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के इच्छुक कर्मचारियों को उचित माध्यम से आवेदन करना चाहिए और अपने नियोक्ता से ''अनापत्ति प्रमाण पत्र'' प्राप्त कर लेना चाहिए। उन्हें **अनुलग्नक–VIII** के अनुसार प्रमाण पत्र अपलोड करना है। |
| 15.12 | ऑनलाइन आवेदन पत्र में, अभ्यर्थियों को अपना हाल ही का रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटो जिस पर विधिवत रूप से वह तिथि उल्लिखित हो जिस तिथि को फोटो लिया गया हो, **(अर्थात् इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से तीन माह से अधिक पुरानी न हो)**। हस्ताक्षर तथा आयु एवं शैक्षणिक अर्हता से संबंधित दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतिलिपि (मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र एवं सीनियर सेकेंडरी परीक्षा प्रमाण पत्र) को स्कैन करके अपलोड करना है। |

| | |
|---|---|
| 15.13 | जब आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट हो जाए तो इसे ''अनंतिम रूप से'' स्वीकार कर लिया जाएगा। अभ्यर्थियों को अपने रिकॉर्ड के लिए आवेदन का प्रिंट आउट ले लेना चाहिए। ''आवेदन प्रपत्र'' का प्रिंट आउट जमा करने की आवश्यकता नहीं है। |
| 15.14 | अभ्यर्थी को विधिवत रूप से दिनांकित सहित दो पासपोर्ट आकार के हाल के रंगीन फोटो और एक मूल वैध फोटो आईडी प्रमाण जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, विश्वविद्यालय/कॉलेज/सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र, नियोक्ता आईडी कार्ड, रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी ईएसएम डिस्चार्ज बुक या केंद्र/राज्य सरकार द्वारा जारी कोई भी फोटो वाला पहचान पत्र, पहचान के उद्देश्य के लिए परीक्षा स्थल पर अवश्य लाएं। यदि फोटो पहचान पत्र में जन्म तिथि लिखी हुई नहीं है, तो अभ्यर्थी को अपनी जन्म तिथि के प्रमाण के रुप में एक अतिरिक्त मूल प्रमाण पत्र लाना होगा। प्रवेश पत्र में उल्लिखित जन्म तिथि और जन्म तिथि के समर्थन में लाए गए फोटो आईडी/प्रमाण पत्र में मेल नहीं होने की स्थिति में, अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। |
| 15.15 | किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के नाम/फोटो का दुरुपयोग करके फर्जी/मनगढ़ंत आवेदन/पंजीकरण के मामले में, ऐसे अभ्यर्थी/साइबर कैफे को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा और वह साइबर/आईटी अधिनियम के तहत उपयुक्त कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा। |
| 15.16 | अभ्यर्थी ध्यान दें कि वे एक वर्दीधारी बल के लिए आवेदन कर रहे हैं और उन्हें उचित शारीरिक/मानसिक तैयारी के साथ भर्ती प्रक्रिया में भाग लेना होगा और वे भर्ती के किसी भी चरण के दौरान होने वाली किसी भी घटना/दुर्घटना के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे। ऐसी किसी भी अप्रत्याशित घटना/दुर्घटना के लिए भर्ती एजेंसी/केंद्र जिम्मेदार नहीं होगा। अभ्यर्थी अपने जोखिम पर भर्ती में भाग लेंगे। |
| 15.17 | भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के लिए अभ्यर्थियों को अपनी व्यवस्था के तहत 2–3 दिनों तक ठहरने के लिए विधिवत तैयार होना चाहिए। यात्रा और ठहरने के लिए कोई टीए/डीए स्वीकार्य नहीं होगा। |
| 15.18 | किसी भी प्रकार का अनुयाचन अथवा किसी भी प्रकार का बाहरी प्रभाव डालने पर अभ्यर्थियों को स्वतः ही बिना किसी सूचना के परीक्षा में बैठने से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। |
| 15.19 | विभागीय अभ्यर्थियों (एलडीसीई) के लिए चिकित्सा मानक वही होंगे जो सीधी भर्ती के लिए पैरा 5.6 में ऊपर दिए गए हैं। |
| 15.20 | पात्रता, आवेदन प्रपत्रों की स्वीकृति अथवा रद्दीकरण, चयन के तरीके, परीक्षा के संचालन और परीक्षा केन्द्रों के आबंटन, कौशल परीक्षा, चिकित्सा परीक्षण आदि की विधि/प्रक्रिया से संबंधित सभी मामलों में विभाग का निर्णय अंतिम होगा तथा सभी अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होगा और इस संबंध में किसी भी प्रकार की पूछताछ/पत्राचार नहीं किया जाएगा। |
| 15.21 | **हिंदी अथवा अंग्रेजी के अलावा किसी भी प्रमाण पत्र का अनुवाद (हिंदी अथवा अंग्रेजी में) करके ही संलग्न करें अन्यथा इन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा।** |
| 15.22 | अभ्यर्थियों को भर्ती के प्रत्येक चरण में उपस्थित होना है जिसके लिए उन्होंने अर्हता प्राप्त की है। यदि कोई अभ्यर्थी किसी चरण/इवेंट में उपस्थित नहीं होता है जिसके लिए उस पुरूष/महिला अभ्यर्थी ने अर्हता प्राप्त की है तो उस पुरूष/महिला अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। |
| 15.23 | चयनित अभ्यर्थियों को सीआईएसफ के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र में मूलभूत प्रशिक्षण हेतु उपस्थित होना होगा जिसके लिए उन्हें अलग से नियुक्ति पत्र के माध्यम से सूचित किया जाएगा। वे 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर होंगे जिसे बढ़ाया जा सकता है। परिवीक्षा अवधि के दौरान, यदि वे किसी कारण से अनफिट पाए जाते हैं, तो उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। |
| 15.24 | परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को पहले ही यह सुनिश्चित कर लेना है कि वे परीक्षा में भाग लेने के लिए पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं। उनकी अभ्यर्थिता परीक्षा के सभी चरणों पर निर्धारित पात्रता संबंधी शर्तों को पूरी करने तक पूर्ण रूप से अस्थाई रूप की हैं। यदि भर्ती प्रक्रिया से पहले अथवा बाद में किसी चरण में, किसी समय, सत्यापन करने पर अथवा बल में नियुक्ति/कार्यभार ग्रहण करने के पत्र जारी होने के पश्चात भी यह पाया जाता है कि वह पात्रता संबंधी शर्तों को पूरा नहीं करते हैं तो पद के लिए उनकी अभ्यर्थिता/चयन रद्द कर दिया जाएगा। |
| 15.25 | परीक्षा में सफल होना नियुक्ति का अधिकार नहीं है, जब तक कि विभाग ऐसी जांच, जिसे आवश्यक समझा गया हो, करने के पश्चात इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाता है कि अभ्यर्थी इस सेवा में चयन के सभी पहलुओं पर खरा उतरता है। |

| | |
|---|---|
| 15.26 | यदि कोई अभ्यर्थी अपने चयन/नियुक्ति के बाद किसी भी आधार पर सेवा के लिए अयोग्य/अपात्र पाया जाता है, तो उसकी सेवा बिना कोई कारण बताए समाप्त कर दी जाएगी। |
| 15.27 | यदि कोई भी अभ्यर्थी पूरी भर्ती प्रक्रिया के दौरान किसी भी चरण में या उसके बाद कदाचार के किसी भी कार्य में संलिप्त पाया जाता हैं तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी और वह उपयुक्त कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा। |
| 15.28 | दस्तावेजों की कोई भी कमी, जो प्रारंभिक जांच के समय नहीं पकड़ी जाती है और बाद के चरण में पाई/देखी गई, तो अभ्यर्थी को पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और उसे भर्ती की बाद की प्रतिस्पर्धाओं में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी और इस संबंध में किसी भी अपील अथवा पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा। |
| 15.29 | विभाग को विज्ञापन में कोई भी परिवर्तन करने या बिना कोई कारण बताए उसे रद्द करने का अधिकार है। इसके अलावा, यहां उल्लिखित सभी शर्तें भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार भिन्न हो सकती हैं। |
| 15.30 | भर्ती प्रक्रिया/परीक्षा के दौरान किसी भी चोट/दुर्घटना या चिकित्सा समस्या के लिए सीआईएसएफ या भारत सरकार जिम्मेदार नहीं होगी। |
| 15.31 | परीक्षा के सभी चरणों में अभ्यर्थियों का प्रवेश विशुद्ध रूप से अनंतिम होगा, बशर्ते कि वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। भर्ती प्रक्रिया के अंत में चिकित्सा परीक्षण से गुजरना नियुक्ति की गारंटी नहीं है क्योंकि नियुक्ति का प्रस्ताव अभ्यर्थियों की मेरिट के क्रम में मेरिट सूची से प्रत्येक श्रेणी के लिए आबंटित रिक्तियों के अनुसार ही दिया जाएगा। |
| 15.32 | **सीआईएसएफ के महानिदेशक बिना कोई कारण बताए भर्ती में बदलाव करने या रद्द करने या स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।** इसके अलावा, यहां उल्लिखित सभी शर्तें भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार भिन्न हो सकती हैं। |
| 15.33 | **अभ्यर्थियों का अपना व्यक्तिगत एवं वैध ई–मेल आईडी होना आवश्यक है। उन्हें सलाह दी जाती है कि वे अपना व्यक्तिगत मोबाइल नंबर रखें। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे वहीं मोबाइल नंबर और ई–मेल आइडी प्रयोग में रखें जिसे उन्होंने आवेदन पत्र में प्रस्तुत किया है क्योंकि महत्वूपर्ण सूचना केवल एसएमएस या ई–मेल के माध्यम से दी जाएगी।** |
| 15.34 | ऑनलाइन आवेदन के पंजीकरण के सफलतापूर्वक पूरा होने से संबंधित पावती को अभ्यर्थियों को एसएमएस/ई–मेल के माध्यम से भेजा जाएगा। |
| 15.35 | भर्ती प्रक्रिया के दौरान, प्रत्येक चरण में, पीएसटी और दस्तवेजीकरण, लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा और विस्तृत चिकित्सा परीक्षण के लिए बुलावा पत्र/प्रवेश पत्र सीआईएसएफ की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। अभ्यर्थियों को सीआईएसएफ की वेबसाइट अर्थात् **https://cisfrectt.in** से परीक्षा के लिए बुलावा पत्र/प्रवेश पत्र डाउनलोड करना होगा। कोई भी प्रवेश पत्र डाक द्वारा जारी नहीं किया जाएगा। |
| 15.36 | अभ्यर्थी आवेदन भरने एवं पीएसटी, दस्तावेजीकरण, लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा और चिकित्सा परीक्षण आदि के संबंध में किसी भी स्पष्टीकरण के लिए, यदि कोई है, तो हेल्प लाइन नंबर 011– 24366431/24307933 पर संपर्क कर सकते हैं। |
| 15.37 | अभ्यर्थियों को अपना नाम, जन्म तिथि, पिता का नाम मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र में दिए गए अनुसार ही लिखना होगा अन्यथा दस्तावेज सत्यापन के समय या सीआईएसएफ के संज्ञान में आने पर उनकी अभ्यर्थिता सरसरी तौर पर रद्द कर दी जाएगी। |
| 15.38 | इस भर्ती के संबंध में नियमित अपडेट के लिए कृपया https://cisfrectt.in देखें। |
| 15.39 | सीआईएसएफ पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ फिट, प्रतिबद्ध, ईमानदार और सर्वश्रेष्ठ अभ्यर्थियों की भर्ती करने का प्रयास करता है। इसलिए, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे **''दलालों से सावधान रहें''**। |

**अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना**

**दलालों से सावधान रहें। सीआईएसएफ में भर्ती के लिए कोई पैसा नहीं लिया जाता है। यदि आपने भुगतान किया है या किसी को पैसे देने का वादा किया है तो आपको धोखा दिया जा रहा है और आप पैसे खो रहे हैं। यदि कोई आपके चयन के लिए पैसे की मांग करता है, तो तुरंत भर्ती बोर्ड के पीठासीन अधिकारी और संबंधित भर्ती केन्द्र के उप महानिरीक्षक को सूचित करें या ई–मेल के माध्यम से उस व्यक्ति का नाम ac-rectt@cisf.gov.in पर सूचित करें।**

## (ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया)

परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया के दो भाग हैः

| | |
|---|---|
| I. | वन टाईम रजिस्ट्रेशन |
| II. | परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करना |

**भाग –1 (वन टाईम रजिस्ट्रेशन)**

अभ्यर्थी के लिए वन टाईम रजिस्ट्रेशन एक स्थायी डेटाबेस होगा। सीआईएसएफ द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों द्वारा विशिष्ट पंजीकरण आईडी और पासवर्ड का ही उपयोग किया जाएगा। ऑनलाइन **'पंजीकरण फॉर्म'** और **'आवेदन पत्र'** भरने से पहले परीक्षा की सूचना में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। वन टाईम रजिस्ट्रेशन के साथ आगे बढ़ने से पहले, निम्नलिखित जानकारी/दस्तावेज तैयार रखेंः

क. मोबाइल नंबर
ख. ईमेल आईडी (सत्यापित ई–मेल के माध्यम से सत्यापन किया जाना है)।
ग. आधार संख्या। यदि आधार संख्या उपलब्ध नहीं है, तो कृपया निम्नलिखित में से कोई एक पहचान पत्र प्रस्तुत करें। (बाद में आपको मूल दस्तावेज भी दिखाना होगा):

i. मतदाता पहचान पत्र
ii. पैन कार्ड
iii. पासपोर्ट
iv. ड्राइविंग लाइसेंस
iv. स्कूल/कॉलेज आईडी
v. नियोक्ता आईडी (सरकारी/ सार्वजनिक उपक्रम/निजी)

घ. मैट्रिकुलेशन (10वीं) पास करने का वर्ष और रौल नंबर, बोर्ड से संबंधित ब्यौरा।

पहली बार रजिस्ट्रेशन कैसे करें :–

| | |
|---|---|
| 1. | सीआईएसएफ की आधिकारिक वेबसाइट https://cisfrectt.in पर लॉग ऑन करें। |
| 2. | होम पेज प्रदर्शित हो जाएगा। "लॉगिन" बटन पर क्लिक करें। |
| 3. | नया पेज प्रदर्शित होगा। "नया पंजीकरण" बटन पर क्लिक करें। |
| 4. | वन टाईम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में निम्नलिखित जानकारी भरना अपेक्षित हैः |
| | क. मूल विवरण<br>ख. अतिरिक्त और संपर्क विवरण<br>ग. घोषणा। |
| 5. | **'वन टाईम रजिस्ट्रेशन फॉर्म' भरने के लिए, कृपया निम्नलिखित चरणों का पालन करेंः** |
| क. | कुछ महत्वपूर्ण विवरण (जैसे नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, आधार संख्या आदि) को पंजीकरण फॉर्म के संबंधित कॉलम में दो बार दर्ज करने की आवश्यकता होती है ताकि फॉर्म भरने में अनजाने में हुई गलतियों से बचा जा सके। यदि मूल और सत्यापित डाटा कॉलम के आंकड़ों सें मेल नही है, तो इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा और इस आशय का एक संकेत लाल रंग के शब्दों में दिया जाएगा। |
| ख. | अपना नाम ठीक वैसे ही भरें, जैसे मैट्रिकुलेशन (10 वीं कक्षा) के प्रमाण पत्र में हैं । यदि, मैट्रिकुलेशन के बाद आपने अपने नाम में कोई परिवर्तन किया है तो उसका उल्लेख करें। |
| ग. | अपने पिता का नाम ठीक वैसे ही भरें जैसे मैट्रिकुलेशन (10 वीं कक्षा) प्रमाणपत्र में दिया गया है। |
| घ. | अपनी माता का नाम ठीक वैसे ही भरें जैसे मैट्रिकुलेशन (10 वीं कक्षा) के प्रमाण पत्र में दिया गया है। |
| ड़. | अपनी जन्मतिथि ठीक वैसे ही भरें जैसे मैट्रिकुलेशन (10 वीं कक्षा) प्रमाणपत्र में दी गई है। |
| च. | अपने लिंग के बारे में जानकारी प्रदान करें। |
| छ. | सबमिट बटन पर क्लिक करें। नया पृष्ठ प्रदर्शित हो जाएगा। |
| ज. | अपना व्यक्तिगत विवरण जांचें और मूल विवरण भरें। |
| झ. | अपनी मैट्रिकुलेशन (10 वीं कक्षा) परीक्षा का विवरण भरें जिसमें शामिल हैंः |
| | i. शिक्षा बोर्ड का नाम |
| | ii. रोल नंबर |
| | iii. उत्तीर्ण होने का वर्ष |
| | iv. अपी शैक्षिक योग्यता के स्तर (उच्चतम) के बारे में जानकारी प्रदान करें। |
| ञ. | स्थायी और वर्तमान पते सहित अपना संपर्क विवरण भरें। |
| ट. | अपना कियाशील मोबाइल नंबर और ईमेल–आईडी भरें। यह भी नोट कर ले कि कोई भी सूचना जिसे विभाग ईमेल के माध्यम से आपको संप्रेषित करेगा, वह केवल आपके द्वारा प्रदान की गई ईमेल–आईडी पर ही भेजी जाएगी। यदि आवश्यक हुआ तो पासवर्ड/पंजीकरण संख्या की पुनः प्राप्ति के लिए भी उसी ईमेल आईडी का उपयोग किया जाएगा। |

| | |
|---|---|
| ठ. | 'घोषणापत्र' को ध्यान से पढ़ें, अगर आप घोषणापत्र से सहमत हैं तो '**फाइनल सबमिट**' बटन पर क्लिक करें। |
| ड. | पुष्टि होने पर, आपका डाटा सहेज लिया जाएगा और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल पर भी भेज दिया जाएगा। |
| ढ. | अपनी पंजीकरण–संख्या का ''यूजरनेम'' के रूप में और आपके ईमेल पर प्रदान किए गए ''ऑटो–जेनरेटेड पासवर्ड'' का उपयोग करके लॉगिन करें। |
| 6. | **आपको पुनः सावधान किया जाता है कि नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, मैट्रिकुलेशन परीक्षा का विवरण ठीक वैसा ही भरा जाना चाहिए जैसा कि मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र में दर्ज किया गया है। त्रुटिपूर्ण/गलत जानकारी के मामले में आपकी अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है।** |

## भाग–II (ऑनलाइन आवेदन पत्र)

1. ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले, निम्नलिखित डेटा तैयार रखें :

क) जेपीईजी प्रारूप (20 केबी से 50 केबी) में हाल ही में स्कैन किया गया रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटो जिस पर फोटो लेने की तिथि विधिवत रूप से अंकित हो **(अर्थात् इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन माह से अधिक पुराना नहीं हो) विधिवत रूप से तिथि अंकित हो (अर्थात् इस परीक्षा की सूचना के प्रकाशन की तिथि से तीन माह से अधिक पुरानी न हो)**। फोटो का छवि आयाम लगभग 3.5 सेमी (चौड़ाई) x 4.5 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। फोटोग्राफ बिना टोपी, चश्मे के होना चाहिए और दोनों कान दिखाई देने चाहिए। **जिस तारीख को फोटो खींची गई है वह फोटो पर स्पष्ट रूप से छपी होनी चाहिए। फोटो पर छपी तारीख के बिना आवेदन खारिज कर दिए जाएंगे। धुंधली तस्वीर वाले आवेदन भी खारिज कर दिए जाएंगे।**

ख). जेपीईजी प्रारूप में स्कैन किए हुए हस्ताक्षर (10 से 20 केबी)। हस्ताक्षर का छवि आयाम लगभग 4.0 सेमी (चौड़ाई) x 2.0 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। **अस्पष्ट हस्ताक्षर वाले आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा।**

2. पंजीकृत अभ्यर्थी अपने 'पंजीकरण–संख्या' और पासवर्ड के माध्यम से ऑनलाइन प्रणाली में लॉग–इन कर सकते हैं।

3. सीआईएसएफ भर्ती की वेबसाइट अर्थात https://cisfrectt.in पर लॉग–इन करें और '**सहायक उप निरीक्षक/आशुलिपिक और प्रधान आरक्षक/अनुसचिवीय–2022**' टैब पर क्लिक करें।

4. आवश्यक विवरण जैसे 'पंजीकरण संख्या', 'पासवर्ड', 'कैप्चा' भरें और सबमिट बटन पर क्लिक करें।

5. नया पृष्ठ खुलेगा, जहां अभ्यर्थी '**वैलिडेट ईमेल**' टैब पर क्लिक करके अपने ईमेल को सत्यापित कर सकते हैं। सत्यापन के बाद, **सहायक उप निरीक्षक/आशुलिपिक और प्रधान आरक्षक/अनुसचिवीय–2022**' टैब पर क्लिक करें और फिर '**आवेदन पत्र**' पर क्लिक करें। इसके बाद आवेदन पत्र खुल जाएगा। पंजीकरण प्रक्रिया के समय अभ्यर्थी द्वारा भरा गया डेटा/विवरण स्वचालित रूप से आवेदन पत्र में संबंधित क्षेत्रों में भर जाएगा। शेष खाली स्थानों को अभ्यर्थी द्वारा भरा जाना चाहिए। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे विवरण बहुत सावधानी से भरें।

6. एक बार जब अभ्यर्थी आवेदन पत्र में सभी आवश्यक विवरण भर देता है, तो उसे नीचे '**सबमिट और कैंसल**' नामक दो बटन मिलेंगे, यदि अभ्यर्थी कैंसल बटन का उपयोग करता है, तो वह आवेदन पत्र से बाहर आ जाएगा। कोई डेटा/विवरण सहेजा नहीं जाएगा।

7. एक बार आवेदन पत्र पूरी तरह से भर जाने के बाद, घोषणा को ध्यान से पढ़ें और **"सबमिट"** बटन पर क्लिक करें, यदि आप इसे स्वीकार करते हैं तो यह आपके द्वारा भरे गए सभी डेटा/विवरणों को सहेज लेगा।

8. **उपरोक्त क्र.सं.–1(क) में यथा विनिर्दिष्ट, अपना हाल का फोटो अपलोड करें जिस पर फोटो लेने की तिथि विधिवत रूप से उल्लिखित हो (अर्थात् इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से तीन माह अधिक पुराना न हो) विधिवत रूप से तिथि अंकित हो (अर्थात् परीक्षा की सूचना के प्रकाशन की तिथि से तीन माह से अधिक पुराना न हो)।**

9. क्रमांक संख्या – 1 (ख) में यथा निर्दिष्ट अपना हस्ताक्षर अपलोड करें। **धुंधले हस्ताक्षर वाले आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा।**

10. ऊपर अपलोड किया गया फोटो परीक्षा की सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए और जिस तिथि को फोटो लिया गया है वह तिथि उस पर स्पष्ट रूप से छपी होनी चाहिए।

11. **आयु और शैक्षिक योग्यता के प्रमाण के लिए मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट और सीनियर सेकेंडरी परीक्षा सर्टिफिकेट की स्कैन कॉपी (1 एमबी से अधिक न हो) अपलोड करें।**

12. सभी आवश्यक दस्तावेज और छवि अपलोड करने के बाद, पृष्ठ के नीचे दिखाई देने वाले भुगतान बटन पर भुगतान करने के लिए जारी बटन पर क्लिक करें।

13. अब 'भुगतान' विंडो दिखेगी। जिन अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है, उन्हें यह संदेश दिखाई देगा कि **आप शुल्क छूट के पात्र हैं** और उन्हें '**आवेदन प्रिंट** करें' का विकल्प मिलेगा।

14. यदि आपको शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त नहीं है तो शुल्क भुगतान करने के लिए आगे बढ़ें।

15. शुल्क का भुगतान नेट बैंकिंग, डेबिट अथवा क्रेडिट कार्ड अथवा यूपीआई अथवा एसबीआई की शाखाओं में एसबीआई चालान जनरेट करते हुए नकद के माध्यम से अदा किया जा सकता है। यदि अभ्यर्थी चालान विकल्प का चयन करता है तो अभ्यर्थी को सर्वर से शुल्क जमा करने के लिए चालान फार्म प्राप्त होता है। चालान फार्म प्राप्त करने के बाद अभ्यर्थी को भारतीय स्टेट बैंक की निकटतम शाखा में जाकर शुल्क जमा करना चाहिए। इसके बाद अभ्यर्थी की औपचारिकता पूरी हो जाती है। बैंक एमआईएस रिपोर्ट जनरेट करेगा और सीआईएसएफ को भेजेगा। इस प्रक्रिया में कम से कम 48 घंटे लगते हैं। 48 घंटे के बाद अभ्यर्थी अपने आवेदन की स्थिति का पता कर सकता है।

16. भुगतान प्रक्रिया पूरी होने के बाद, अभ्यर्थी अपने भरे हुए आवेदन पत्र का प्रिंट आउट ले सकते हैं और इसे अपने पास रख सकते हैं।

अनुलग्नक– III

## भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से संबंधित आवेदकों के द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप

**यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी* ...................................... पुत्र/पुत्री श्री ......................................गॉव/नगर* ...................... जो जिला/खंड*.................... राज्य/संघ शासित क्षेत्र* ................................जाति/जनजाति से सम्बंधित है की पहचान निम्न के अधीन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति* के रूप में की गई है :–**

| | |
|---|---|
| @ | ''संवैधानिक (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 |
| @ | 'संवैधानिक (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 |
| @ | 'संवैधानिक (अनुसूचित जाति) (संघ शासित क्षेत्र) आदेश, 1951* |
| @ | 'संवैधानिक (अनुसूचित जन जाति) (संघशासित क्षेत्र ) आदेश, 1951* |
| | (जैसा कि अनुसूचित जाति/जनजाति सूचियॉ ( संशोधन आदेश) 1956 द्वारा संशोधित, बाम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960, 'पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, पूर्वोतर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971 और अनुसूचित जाति/जनजाति आदेश संशोधन अधिनियम 1976) मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986, अरूणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1986 और गोवा, दमन और दीव (पुनर्गठन) अधिनियम, 1987) |
| @ | 'संवैधानिक (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956 |
| @ | 'संवैधानिक (दादरा और नगर हवेली ) अनुसूचित जाति आदेश, 1962 |
| @ | 'संवैधानिक (दादरा और नगर हवेली ) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962 |
| @ | 'संवैधानिक (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964 |
| @ | 'संवैधानिक (उतर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1967 |
| @ | 'संवैधानिक (गोवा दमन दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968 |
| @ | 'संवैधानिक (गोवा दमन दीव ) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968 |
| @ | 'संवैधानिक (नागालैण्ड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970 |
| @ | 'संवैधानिक (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978 |
| @ | 'संवैधानिक (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978 |
| @ | 'संवैधानिक (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989 |
| @ | 'संवैधानिक (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990' |
| @ | संवैधानिक (अनुसूचित जनजाति ) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1991 |
| @ | 'संवैधानिक (अनुसूचित जनजाति) आदेश (दूसरा संशोधन) अध्यादेश, 1991 |
| @ | 'अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 |
| @ | 'संवैधानिक (अनुसूचित जाति) आदेश अधिनियम (संशोधन) 2002 |
| @ | 'संवैधानिक (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) आदेश अधिनियम (संशोधन) 2002 |
| @ | 'संवैधानिक (अनुसूचित जाति) आदेश अधिनियम (दूसरा संशोधन) 2002 |
| @ | 'संवैधानिक (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ) अनुसूचित जाति आदेश 1959 यथासंशोधित अनुसूचित जाति और जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 |

2. ऐसे अनुसूचित जाति/अनु.जन जाति के व्यक्तियों के बारे में लागू है जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से दूसरे में अप्रवजन कर गए हों।

यह प्रमाणपत्र अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण पत्र के आधार पर श्री/श्रीमती' ................................................................. पिता/माता श्री/श्रीमती/कुमारी' ...................... .....................गांव/नगर''.............................जिला/खंड' .....................................राज्य/संघशासित क्षेत्र' ....................................जो कि .................................जाति/जनजाति से संबंधित हों जिसे राज्य/संघशासित क्षेत्र....................................द्वारा जारी किए गए ..............................(जारी करने वाला प्राधिकृत प्राधिकरण का नाम) द्वारा उनकी संख्या .....................दिनांक .... ..............को जारी किया गया है।

3. श्री/श्रीमती/कुमारी' ......................................... और/अथवा/उसका' परिवार वास्तविक रूप से गांव/नगर'' ............................जिला/खंड'........................राज्य/संघशासित क्षेत्र' ........................में रहते है ।

| | | |
|---|---|---|
| स्थान....................... | | हस्ताक्षर......................... |
| दिनांक ......................... | | **पदनाम................................<br>(कार्यालय की मुहर सहित)<br>राज्य/संघीय क्षेत्र<br>.......................... |

जो लागू न हो वे शब्द काट दिये जाये।

**@कृप्या राष्ट्रपति के विशिष्ट आदेश का संदर्भ दें ।**

**% उस पैराग्राफ को हटा दें जो लागू न हो ।**

**टिप्पणी : यहां ''साधारणतया'' शब्द का प्रयोग उसी तरह से किया जाएगा जैसा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में किया गया है।**

****अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अपिव के प्रमाण पत्रों को जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों की सूची।**

(i) जिला मेजिस्ट्रेट/अपर जिला मेजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/ उप कलेक्टर/प्रथम श्रेणी वैतनिक मेजिस्ट्रेट/सब डिविजिनल मेजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त/तालुका मेजिस्ट्रेट/कार्यकारी मेजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी वैतनिक मेजिस्ट्रेट से पद में कम न हो)
(ii) मुख्य प्रेसिडेन्सी मेजिस्ट्रेट/अपर मुख्य प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट/प्रेसिडेन्सी मेजिस्ट्रेट
(iii) राजस्व अधिकारी तहसीलदार के पद से नीचे का न हो ।
(iv) उस क्षेत्र के सब डिवीजनल अधिकारी जिस क्षेत्र में आवेदक और/अथवा उसके परिवार के सदस्य सामान्यतः निवास करते हैं।
(v) प्रशासक/प्रशासन के सचिव/विकास अधिकारी (लक्षद्वीप)

**टिप्पणी:–** तमिलनाडु राज्य से संबंधित अनुसूचित जाति के आवेदक **केवल राजस्व प्रभाग अधिकारी द्वारा** जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें ।

अनुलग्नक– **IV**

**<u>भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप</u>**

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..............................................................पुत्र/पुत्री, श्री..................................................... गांव/नगर........................................जिला/प्रभाग.................................राज्य/संघ शासित क्षेत्र.....................................के .............................. समुदाय से संबंधित है जिसे भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प संख्या ...................................... दिनांक........................* के तहत पिछड़े वर्ग के रूप में मान्यता दी गयी है।

श्री/श्रीमती/कुमारी....................................................और/अथवा उनका/उनके परिवार ....................................... राज्य/संघ शासित राज्य क्षेत्र के जिला/मंडल...................................................... में सामान्य रूप से रहते हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा.सं. 36012/22/93 स्था. (एससीटी) दिनांक 08.09.1993**, भारत सरकार की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों **(क्रीमी लेयर)** से संबंधित नहीं है।

दिनांक.....................................

जिलाधिकारी
उपायुक्त इत्यादि
(कार्यालय की मोहर सहित)

---

*प्रमाण–पत्र जारी करने वाले प्राधिकरण को भारत सरकार के संकल्प के विवरण का उल्लेख करना पड़ सकता है, जिसमें अभ्यर्थी की जाति का उल्लेख अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में किया गया है।

**समय समय पर यथा संशोधित।

**टिप्पणी** :– यहां ''साधारणतया'' शब्द का प्रयोग उसी तरह से किया जाएगा जैसा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में किया गया है।

**<u>अनुलग्नक– V</u>**

..........................................सरकार
(प्रमाण–पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम और पता)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले आय और परिसंपत्तियों का प्रमाण–पत्र

प्रमाण पत्र सं.................................................. दिनांक.........................

.................वर्ष के लिए मान्य

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ................................................................पुत्र/पुत्री/पत्नी.......................................... ग्राम/गली.............................................डाकघर ............................................जिला.........................................................पिन कोड.................... राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ...........................................................के स्थायी निवासी हैं, जिसकी तस्वीर नीचे सत्यापित की गई है, वह आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित है क्योंकि उस पुरूष/महिला के परिवार की कुल वार्षिक आय वित्तीय वर्ष .................... के लिए 8 लाख (आठ लाख मात्र) से कम है। पुरूष/महिला के परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई परिसंपत्ति नहीं है :–

I. 5 एकड़ एवं उससे अधिक कृषि भूमि;
II. 1000 वर्ग फुट और उससे अधिक का आवासीय फ्लैट;
III. अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड;
IV. अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज से अधिक का आवासीय भूखंड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी.....................................जो..........................................जाति से संबंधित हैं, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ा वर्ग (केन्द्रीय सूची) के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं हैं।

| आवेदक का हाल का पासपोर्ट आकार का सत्यापित फोटो |
|---|

हस्ताक्षर, कार्यालय की मोहर सहित........................
नाम.................................................................................
पदनाम.............................................................................

***** **नोट** : 1. आय में सभी स्त्रोत अर्थात् वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा आदि शामिल हैं।

****नोट** : 2. इस प्रयोजन के लिए ''परिवार'' शब्द में वह व्यक्ति शामिल है, जो आरक्षण के लिए लाभ चाहता है, उसके माता–पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई–बहन साथ–साथ उसके पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे भी शामिल हैं।

*****नोट** : 3. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति धारण परीक्षण को लागू करते समय विभिन्न स्थानों/शहरों में ''परिवार द्वारा आयोजित संपत्ति को क्लब किया गया है।

\# आय और परिसंपत्ति प्रमाण–पत्र जारी करने वाले अधिकृत अधिकारियों की सूची :–

(i) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/प्रथम श्रेणी वजीफा मजिस्ट्रेट/उप विभागीय मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त।
(ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।
(iii) राजस्व अधिकारी तहसीलदार के पद से नीचे का नही होना चाहिए और
(iv) उप विभागीय अधिकारी या वह क्षेत्र जहां अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्य रूप से रहते हैं।

अनुलग्नक – VI

कद या सीने की माप में छूट चाहने वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / कुमारी ......................................पुत्र / पुत्री, श्री ..................................गांव / जिले के ...... ...................... तहसील / तालुका.............................................. गांव के स्थायी निवासी हैं।

2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि :–

- ❖ उपर वर्णित पूरे क्षेत्र के निवासियों को ...................................................... माना जाता है।
  (गढ़वाली, कुमाऊंनी, गोरखा, डोगरा, मराठा)
- ❖ वह ............................................ से संबंधित है।
  (सिक्किम, नागालैंण्ड, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश राज्य और जम्मू एवं कश्मीर )
- ❖ वह .............................. आदिवासी समुदाय से संबंध रखता है।

हस्ताक्षर ......................................................
जिला मजिस्ट्रेट / उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट / तहसीलदार

दिनांकः..........................................

स्थान :..................................................

❖ 'जो लागू न हो उसे काट दें।'

**अनुलग्नक – VII**

**(पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले जन्म / पहचान पत्र)**

सरपंच / नम्बरदार / नायब तहसीलदार..........................................का कार्यालय

फोटो

**जम्मू और कश्मीर / लद्दाख के केन्द्र शासित प्रदेशों में रहने वाले पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थियों के लिए पहचान प्रमाण पत्र**

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री / कुमारी / श्रीमती ......................................पुत्र / पुत्री, पत्नी श्री .................................. पूर्व में गांव..............................तहसील......................................जिला......................................, भारत विभाजन से पूर्व (अब पाकिस्तान) के निवासी थे। वर्तमान में मकान संख्या ........................................गली / लेन संख्या......................................मोहल्ला......................... गांव......................तहसील..........................................जिला......................................में रह रहे हैं जो पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी है जो भारत–पाकिस्तान के 1947 के युद्ध पश्चात यहां विस्थापित हो गए हैं।

दिनांक :....................................
स्थान : ...........................................

**सरपंच / नम्बरदार / नायब तहसीलदार**

**अनुलग्नक – VIII**

सीआईएसएफ कार्मिकों सहित सरकारी विभाग / उपक्रम के कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप

'' प्रमाणित किया जाता है कि विभाग/कार्यालय को श्री ......................................को सीआईएसएफ में ............................. के पद/पदों के लिए आवेदन करने के लिए अनुमति प्रदान करने में कोई आपत्ति नहीं है। पुनः यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री ........................................................को आज तक कोई दंड (छोटा/बड़ा) नहीं दिया गया है और इस विभाग/कार्यालय में उनकी सेवा के दौरान उनका प्रदर्शन ''**औसत**'' से ऊपर रहा है।

हस्ताक्षर
कार्यालय प्रमुख/नियंत्रण अधिकारी/
इकाई कमाण्डर का नाम और पदनाम

दिनांक :....................................

अनुलग्नक – **IX**

<u>भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के तहत सिविल पदो ंके लिए आवेदन कर रहे अभ्यर्थियों द्वारा दी जाने वाली वचनबद्धता का प्रारुप</u>

मैं यह समक्षता हूॅ कि यदि मेरा चयन भर्ती/परीक्षा के आधार पर, जिससे यह आवेदन पत्र संबंधित है, हो जाता है तो मेरी नियुक्ति, नियुक्त करने वाले प्राधिकारी को मेरे द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने के अधीन होगी। मुझे सशस्त्र बलों से विधिवत मुक्त/सेवानिवृत/कार्यभार मुक्त कर दिया गया है और मैं समय–समय पर यथा संशोधित भूतपूर्व सैनिक (सिविल सेवाओं एवं पदों पर पुनर्नियोजन) नियमावली, 1979 के अनुसरण में भूतपूर्व सैनिकों को देय लाभों का हकदार हूॅ।

2. मैं यह भी समझता हूॅ कि मैं इस परीक्षा में शामिल भर्ती के संबंध में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्ति पर नियुक्ति का पात्र नहीं होऊंगा, यदि मैंने ऐसी नियुक्ति से पहले किसी समय, भूतपूर्व सैनिकों के लिए लागू रिक्तियों के आरक्षण में छूट का लाभ उठाते हुए सिविल साइड (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त निकाय/सांविधिक निकाय, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि) में कोई रोजगार प्राप्त किया है।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
नाम ..............................................

स्थान : .....................................
दिनांक :....................................

अनुलग्नक – **X**

<u>भूतपूर्व सैनिक कोटा के अधीन आवेदन कर रहे नियोजित कार्मिकों के लिए प्रमाण–पत्र का प्रारूप</u>

मैं, एतद् द्वारा, उपलब्ध सूचना के साथ, प्रमाणित करता हूॅ कि श्री.................................................संख्या............................. पदनाम.............................नियुक्ति की निर्धारित अवधि को ......................................पूरा कर लेंगे।

हस्ताक्षर
नियंत्रण अधिकारी

**स्थान :** .......................
दिनांक :....................................

कार्यालय की मोहर

## भूतपूर्व सैनिक द्वारा दी जाने वाली वचनबद्धता

मैं, ....................................................................जिसका अनुक्रमांक....................................है ..................................................................
परीक्षा 20.............. के लिए दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित रहूंगा।

(क) मैं समय–समय पर यथा संशोधित केन्द्रीय सिविल सेवा और पद नियम, 1979 में भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्नियोजन के संदर्भ में भूतपूर्व सैनिकों के लिए दिए जाने वाले लाभों का हकदार हूँ।
(ख) मैंने पूर्व सैनिकों के पुनर्नियोजन के लिए दिए गए आरक्षण के फायदों का लाभ लेने के बाद नियमित आधार पर सिविल साइड (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों/सांविधिक निकायों, राष्ट्रीयकृत बैंकों इत्यादि सहित) किसी भी सरकारी नौकरी का लाभ नहीं लिया है।
(ग) मैंने सिविल सेवा में सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठाया है। मैं ..........................................................के कार्यालय में दिनांक................................को ................................ के रूप शामिल हुआ हूँ। मैं एतद् द्वारा वचन देता हूँ कि मैंने उपरोक्त परीक्षा के लिए आवेदन के तिथि–वार विवरण के बारे में अपने वर्तमान नियोक्ता को स्वघोषणा/वचनबद्धता प्रस्तुत कर दी है जिसके लिए मैंने वर्तमान नियोक्ता को ज्वाइन करने से पहले ही आवेदन किया था।
(घ) मैंने सिविल साइड में सरकारी नौकरी पाने के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ लिया है। मैंने...................................................................के कार्यालय में दिनांक...............................को ............................................ के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। इसलिए मैं केवल आयु में छूट के योग्य हूँ।

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि उपर दिए गए कथन मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं और पूर्णतः सही हैं। मैं समझता हूँ कि किसी भी स्तर पर कोई भी सूचना गलत पाए जाने की स्थिति में मेरी अभ्यर्थिता/नियुक्ति रद्द की जा सकती है।

हस्ताक्षर.................................................................................
नाम.......................................................................................
अनुक्रमांक.............................................................................
तिथि.....................................................................................
सशस्त्र बल में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि............
छोड़ने की तिथि.................................................................
अंतिम इकाई/कॉर्पस्.........................................................
मोबाईल सं. .........................................................................
ई–मेल आईडी.......................................................................

सीबीसी 19113/11/0003/2223